पी. एण्ड एस. बैंक

राजभाषा अंकुर

दिसंबर 2017

बेटी बचाओ

बेटी पढ़ाओ

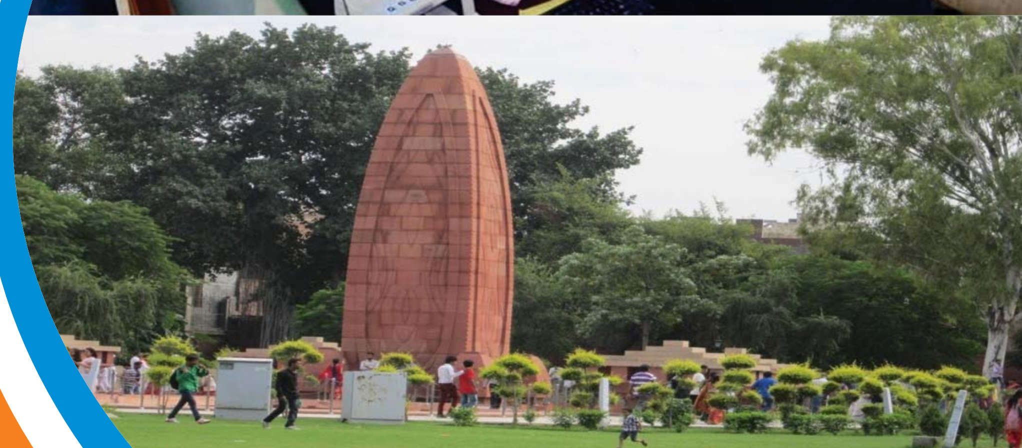

੧ੳ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ ॥

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

Punjab & Sind Bank

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

पी.एस.बी.

(राजभाषा विभाग)

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

नव वर्ष मंगलमय हो।

गौरव के क्षण

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा बैंक की हिंदी पत्रिका ''राजभाषा अंकुर'' को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। राजभाषा विभाग गृह-मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. संदीप आर्या तथा अध्यक्ष नराकास श्री विनीत प्रकाश जैन जी के कर कमलों से शील्ड प्राप्त करते हुए आँचलिक प्रबंधक नई दिल्ली सुश्री मंजु श्रीवास्तव, सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री राजिंदर सिंह बेवली तथा प्रबंधक डॉ. नीरू पाठक।

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा बैंक को हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया, गृह-मंत्रालय के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री केवल कृष्ण तथा संयुक्त निदेशक, वित्त-मंत्रालय श्री शैलेश कुमार सिंह जी के कर-कमलों से शील्ड तथा सर्टिफिकेट प्राप्त करते हुए श्री राजिंदर सिंह बेवली सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा), आँचलिक प्रबंधक, नई दिल्ली, सुश्री मंजू श्रीवास्तव।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

'बैंक हाउस', प्रथम तल, 21, राजेद्र प्लेस, नई दिल्ली-1100 125

दिसंबर, 2017

संरक्षक

श्री फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

श्री गोविन्द एन.डोंग्रे
कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक

श्री वीरेन्द्र गुप्ता
महाप्रबंधक

संपादक व प्रकाशक

श्री कुलदीप सिंह खुराना
मुख्य प्रबंधक एवं प्रभारी (राजभाषा)

संपादक मंडल

श्री राजीव कुमार राय
वरिष्ठ प्रबंधक, राजभाषा

डॉ. नीरू पाठक
प्रबंधक

रूप कुमार
राजभाषा अधिकारी

ई-मेल : hindipatrika@psb.co.in

पंजीकरण सं. : एफ. 2(25) प्रैस. 91

(पत्रिका प्रकाशन तिथि : 10 फरवरी 2018)

'राजभाषा अंकुर' में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार, संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना ज़रूरी नहीं है। सामग्री की मौलिक एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

मुद्रक : बी.एम. ऑफसेट प्रिन्टर्स

F-16, DSIIDC, Industrial Complex,
Rohtak Road, Nangloi, New Delhi - 110041
Ph. : 011-49147897, 9811068514

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	संपादक मंडल/विषय सूची	1
2.	आपकी कलम से	2
3.	संपादकीय	3
4.	अचल संपत्ति पर ऋण	4-6
5.	दिल्ली बैंक नराकास में हमारा बैंक	7
6.	बैसाखी का आलौकिक इतिहास (पंजाबी भाषा तथा हिंदी रूपांतर)	8-9
7.	पुरस्कार वितरण	10-11
8.	समरथ को नाहिं दोष गुसांई	12-13
9.	हिंदी/पंजाबी कार्यशाला	14-15
10.	राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा	16-17
11.	पुत्र प्रेम..../ गौरव के क्षण	18-19
12.	गुरू नानक देव जी	20
13.	राजभाषा प्रतियोगिताएं	21
14.	गुरूपर्व का आयोजन.....	22-23
15.	बैठक/संगोष्ठी	24
16.	यौन-उत्पीडन	25-27
17.	ग्राहक के मुख से....	28
18.	राजभाषा सम्मेलन	29
19.	काव्य-मंजूषा	30-31
20.	साहब का कुत्ता / जीत	32-33
21.	खुदरा ऋण सौगात	34
22.	कुछ तथ्य जो आपको नए लगेंगे	35
23.	आस्था की नगरी	36-38
24.	ज़रा सोचिए/कार्टून कोना	39
25.	बैंकों का विलय लाभप्रद है।	40-42
26.	उद्घाटन/विदाई	43
27.	नववर्ष मंगलमय हो।	44

आपकी कलम से.......

मुझे आपके बैंक की तिमाही पत्रिका ''अंकुर'' का सितम्बर-2017 का अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका भेजने के लिए हार्दिक धन्यवाद। पत्रिका हाथ में आते ही बिना पढ़े रहा नहीं गया।

''अंकुर'' में समाहित लेख विविध विषयों पर है और तमाम जानकारियों से परिपूर्ण हैं। ''एक मुलाक़ात संगीतकार खय्याम से'' ''डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उपाय,'' ''बैंकिंग परिचालन में लाभप्रदता बढ़ाने में हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान'' बहुत उपयोगी एवं समसामयिक हैं। ''काव्य मंजूषा'' में दी गई सभी कविताएँ संदेश लिए हुए हैं। विशेषकर ''आँगन'' नामक कविता अत्यन्त मर्मस्पर्शी लगी। अन्य रचनाएँ भी स्तरीय हैं।

पत्रिका में विभिन्न बैंकिंग एवं राजभाषा सम्बन्धी गतिविधियों की रोचक, सचित्र एवं रंग-बिरंगी झांकी प्रस्तुत की गई है, जो उत्तम संपादकीय कौशलको रेखांकित करता है। सच पूछिए तो आपने अधिकतम जानकारी समाहित करते हुए 'गागर में सागर' की उक्ति को चरितार्थ किया है।

''अंकुर'' के सभी लेखकों एवं रचनाकारों को मेरा साधुवाद और इसके प्रकाशन से जुड़े सभी लोगों को मेरी बधाई और इसके आगामी अंकों के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ।

आज़ाद सिंह
महाप्रबन्धक इंडियन बैंक

आपके बैंक की गृह-पत्रिका राजभाषा अंकुर की प्रति प्राप्त हुई। धन्यवाद!

अंकुर में प्रस्तुत लेख, कहानी, कविताओं के साथ विविध विषयों से संबंधित लेखन सामग्री गागर में सागर की तरह है। अंकुर निरंतर पल्लवित हो अपनी सुगंध चारों दिशाओं में फैला रही है। पत्रिका के मुख पृष्ठ से ही पत्रिका की गरिमा झलक रही है।पत्रिका की साज-सज्जा तथा चित्रांकन बहुत ही आकर्षक एवं सजीव है।

ज्ञानवर्धक संपादन एवं उत्कृष्ट प्रकाशन हेतु संपादक मंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

डॉ. अमरदीप सिंह बिंद्रा
नई दिल्ली।

'अंकुर' सितंबर 2017 का इंटरनेट-संस्करण पढ़ने को मिला। यह पहला अवसर है जबकि मैं पत्रिका से संबंधित अपनी प्रतिक्रिया लिखित रूप में दे रहा हूँ क्योंकि मैं गत नवंबर से बैंक से सेवा-निवृत हूँ। मैं 'अंकुर' के साथ 1989 से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनवरत जुड़ा हुआ हूँ। साहित्य की अनेकानेक विधाओं से परिपूर्ण 'अंकुर' का मूल्यांकन किसी भी व्यावसायिक हिंदी पत्रिका से कमतर नहीं आँका जा सकता है।

प्रस्तुत अंक परंपरागत रूप में पिछले अंकों की तरह ही उत्कृष्टता-संपन्न है। पूजा त्रिपाठी का 'कार्टून' तथा ''जरा सोचिए'' में भारती का प्रयास सराहनीय है। लूलू शेखरन की हिंदी में अनूदित मलयालम कहानी ''न्याय करने से पहले सोचे'' बहु-भाषीय लेखन को प्रोत्साहित करने के प्रयास की इस कड़ी में अगला प्रभावी कदम है। शिखा श्री का ''पर्यावरण की महत्ता'' और रेनू चौरसिया का ''स्वच्छ स्वस्थ और उन्नत भारत'' पर लेख को पत्रिका में कुछ ज्यादा जगह दी गई है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उचित और स्वीकार्य है। आशा है इसकी अहमियतता को अपने व्यावहारिक जीवन में आत्मसात करते हुए हम पर्यावरण की सुरक्षा तथा स्वच्छता के प्रति अपना यथोचित योगदान देंगे। वैसे तो सभी सामग्रियां पठनीय है परन्तु सौरभ शर्मा का लेख ''डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उपाय'' सूचनापरक है तथा समय की मांग है। अंततः, फिल्मी दुनिया के मूर्धन्य संगीतकार 'खय्याम' और उनकी स्वनामधन्या गायिका पत्नी 'जगजीत कौर' के साथ इंटरव्यू (एक मुलाकात) तथा एक ग्राहक के रूप में खय्याम साहब की सुचिंतित प्रतिक्रिया (ग्राहक के मुख से) निस्संदेह पत्रिका की नायाब उपलब्धियों में शुमार होंगी।

संपादक मंडल तथा सभी रचनाकारों ने पत्रिका को सार्थक रूप दिया, सभी बधाई के पात्र हैं। 'अंकुर' के उत्तरोत्तर विकास की कामना के साथ पत्रिका के अगले अंक की प्रतीक्षा में...

प्रदीप कुमार रॉय
सेवानिवृत्त मुख्य प्रबंधक
प्र.का.सतर्कता विभाग

''अंकुर'' के संदर्भित अंक की प्रति अभी प्राप्त हुई है। अंकुर की प्रतीक्षा रहती है क्योंकि मेरे लिए यह ताजी हवा का झोंका लाती है, स्वजनो के समाचार लाता है और बैंक की सर्वांगीण प्रगति की जानकारी देता है और गर्व करने के विषय भी।

इस अंक के विषय में लिखूं उससे पूर्व मेरी बैंक के उच्च प्रबंधन को बहुत बधाई जिनके कुशल मार्गदर्शन एवं सतत प्रयासों से न केवल बैंक ने नए आयाम का स्पर्श किया बल्कि प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर बैंक की श्रेष्ठता का परचम फहराया। विशेष रूप से राजभाषा विभाग जो निरंतर नई उपलब्धियाँ गढ़ रहा है। श्री बेवली जी और उनको विभाग को विशेष बधाई।

अंकुर के इस अंक कलेवर में, सभी क्षेत्रों की जानकारी का युक्तिपूर्ण एवं यथायोग्य समावेशन एवं विभिन्न महत्वपूर्ण अवसरों के छायाचित्र बहुत प्रशंसनीय हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषय यथा पर्यावरण, स्वच्छता, डिजिटल भुगतान की जानकारी रोचक लगी और कहीं सरकार के प्रयासों में भागीदारी करती प्रतीत हुई। ऐसे विषयों को समाविष्ट करना हमारी सार्वजनिक क्षेत्र में उपस्थिति को प्रामाणिक करता है।

मुझे विशेष रूप से खय्याम साहब से साक्षात्कार एक सार्थक पहल लगा जिसके द्वारा न केवल हम अपने विशिष्ट ग्राहकों को सम्मानित करते हैं बल्कि ''अंकुर'' के पाठकों को यह ज्ञापित भी करते है कि हमारे बैंक से समाज की कितनी प्रतिष्ठित प्रतिभाएँ जुड़ी हुईं हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मुम्बई के अपने दीर्घ कार्यकाल के दौरान में कला जगत एवं विभिन्न विधाओं के सशक्त कार्यक्रमों में आता रहा और निजी रूचि के कारण यह सम्पर्क बना हुआ है। हमारे ग्राहकों के विषय में ऐसे लेख भविष्य में भी आते रहेंगेः ऐसी कामना करता हूँ। ''ज़रा सोचिए'' हमेशा की तरह मौलिक विचार पर आधारित एक ऐसी भूमि देता है जो सोचने और कुछ करते रहने के लिए प्रेरित करती हैं। मुख्य संपादक जी और उनके दल को इस अंक के लिए पुनः बधाई, शुभकामना और साधुवाद! ''अंकुर'' के अगले अंक की प्रतीक्षा करते हुएः

पीयूष कान्त चतुर्वेदी
सेवा निवृत्त मुख्य प्रबंधक

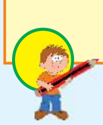

संपादकीय

प्रिय पाठको,

जब यह अंक आपको प्राप्त होगा, तब शिशिर ऋतु की सुनहरी धूप के साथ नववर्ष 2018 आपका स्वागत कर चुका होगा। सर्वप्रथम आप सभी को मेरी तथा राजभाषा विभाग की ओर से नव वर्ष की बहुत-बहुत बधाई तथा शुभकामनाएं। नए वर्ष के आगमन के साथ ''राजभाषा अंकुर'' पत्रिका ने भी एक बार फिर अपनी गरिमा को कायम रखा है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा हमारी पत्रिका ''राजभाषा अंकुर'' को वर्ष 2017 का द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जिस प्रकार बैंक की लाभप्रदता का आधारभूत स्तंभ है उसका ग्राहक, उसी प्रकार किसी भी पत्रिका की सफलता का मापदंड उसके पाठकों द्वारा भेजी गई प्रतिक्रिया होती है। आपके द्वारा भेजी गई प्रतिक्रिया न केवल हमारा उत्साह बढ़ाती है बल्कि पत्रिका के उत्तरोतर विकास में भी सहायक सिद्ध होती है। यह पत्रिका पूर्ण रूप से हमारी गृह पत्रिका है जिसमें हमारे स्टाफ सदस्य ही बढ़-चढ़कर सहभागिता कर रहे हैं। पत्रिका की सफलता के लिए संपादक मंडल के साथ रचनाकार तथा पाठकगण भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

सदैव की तरह पत्रिका का यह अंक भी अत्यंत रुचिकर है। श्री प्रदीप रॉय का लेख ''अचल संपत्ति पर ऋण'' तथा डॉ. नीरू पाठक का लेख ''समरथ को नहिं दोष गुसांई'' ज्ञानवर्धक होने के साथ अनुकरणीय भी है। पत्रिका में आरंभ किया गया स्तंभ ''ग्राहक के मुख से'' बैंक के ग्राहकों को भी न केवल पत्रिका से जोड़ रहा है, बल्कि बैंक से ग्राहक के रिश्तों को और अधिक सुदृढ़ कर रहा है। प्रादेशिक भाषा की श्रृंखला में इस बार बैंक की अपनी भाषा राजभाषा हिंदी की सहचरी भाषा पंजाबी में रचना (हिंदी रूप के साथ) प्रकाशित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कहानी, काव्य-मंजूषा, कार्टून तथा अन्य साहित्यिक विधाओं से भरपूर यह अंक गागर में सागर की तरह है। पत्रिका के बहुआयामी विकास के लिए भविष्य में भी आप सभी की सहभागिता अपेक्षित है।

आशा है 'राजभाषा अंकुर' का यह अंक भी आपको पसंद आएगा। पत्रिका आपको कैसी लगी, कृपया हमें अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं।

(वीरेन्द्र गुप्ता)
महाप्रबंधक (राजभाषा)

अचल संपत्ति पर ऋण - कुछ सावधानियाँ

प्रदीप राय

जैसा कि हमें ज्ञात है कि बैंक व्यवसाय का प्रमुख कार्य जमाकर्ता से प्राप्त जमाराशियों को मुख्यतः जनता की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न ऋण-उत्पादों के माध्यम से विकासात्मक तथा उत्पादक उद्देश्य-पूर्ति हेतु निवेशित करना है। किसी भी व्यवसाय का लक्ष्य निवेशित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके उससे लाभ अर्जित करना होता है और बैंक व्यवसाय भी इससे अलग नहीं है। यदि दिया गया ऋण ब्याज सहित समय पर वापस नहीं आता है तो बैंक की भाषा में ऐसी आस्तियों को अनर्जक (NPA) घोषित कर दिया जाता है तथा जिसका प्रतिकूल प्रभाव बैंक की लाभप्रदता पर पड़ता है, क्योंकि इन आस्तियों से बैंक की आय तो रूकती ही है बल्कि बैंक को अपने लाभांश में से प्रावधान भी करना पड़ता है। इस दिशा में बैंकों के द्वारा एक सुदृढ़ आंतरिक पद्धति एवं नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है जिसका शाखा-कार्यालयों तथा नियंत्रण-कार्यालयों के द्वारा समुचित अनुपालन से ऋण की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकता है तथा संस्था और कर्मचारियों दोनों को किसी भी कपटपूर्ण गतिविधियों से बचाया जा सकता है।

बैंक व्यवसाय में अनर्जक आस्तियों के स्तर में कुछ समय से लगातार वृद्धि हो रही है, जिसका प्रमुख कारण बैंक में निर्दिष्ट नियमों के अनुपालन तथा नियंत्रण व्यवस्था में लापरवाही है। अतः बैंक को आज की प्रतिस्पर्धात्मक बाज़ार में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि बैंक के दिशा-निर्देशों का यथोचित कर्मठता से अनुपालन कर बैंक द्वारा निवेशित राशि को सुरक्षित रखा जाए और साख की गुणात्मकता को बनाए रखते हुए आस्तियों को मानक श्रेणी में रखा जाए।

बैंक के हितों को ध्यान में रखते हुए, कुछ विशेष ऋण, जिनमें प्रतिभूति हेतु अचल संपत्ति को बंधक के रूप में लिया जाता है, से सम्बंधित कुछ मुख्य निवारक दिशा-निर्देशों का यहाँ उदाहरणात्मक उल्लेख किया जा रहा है जिनका अनुपालन वांछनीय है।

ऋण का उद्देश्य : ऋण के किसी भी ऋण-आवेदन पर विचार करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऋण किस उद्देश्य से लिया जा रहा है, आवेदनकर्ता ने अपने आवेदन-पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख किया है

चाहे वह अपनी ही जमा-राशि के विरुद्ध ऋण क्यों न हो। आवेदन पर विचार करने से पूर्व यह जांच लें कि उक्त उद्देश्य बैंक की ऋण-नीति (Loan Policy) का समर्थन करता है ।

ऋण का मूल्यांकन : प्रस्तावित ऋण का सही मूल्यांकन बैंक के निर्धारित नियमों के अनुसार 'यथोचित कर्मठता' (Due Dilligence) से किया जाना चाहिए। ऋण-आवेदक की ऋण-पात्रता, ऋण-शोधन क्षमता के साथ-साथ प्रस्तावित व्यवसाय / परियोजना की तकनीकी व आर्थिक संभाव्यता को अपनी आतंरिक नीतियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ऋण देने का निर्णय लेना चाहिए। ऋण का सटीक मूल्यांकन एक स्वस्थ क्रेडिट-पोर्टफोलियो के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है ।

ऋण-स्वीकृति से पूर्व कार्यवाही

- घर / आवास का निरीक्षण (visit) तथा प्रस्तावित **संपत्ति का निरीक्षण** स्वतंत्र-रूप से करना चाहिए ताकि ऋण-कर्ता तथा उसके परियोजना की सत्यता की पुष्टि की जा सके। यह निरीक्षण किसी को सूचित किए बिना औचक किया जाना चाहिए, जरूरत पड़ने पर आस-पड़ोस से पूछ-ताछ भी कर लेनी चाहिए।

- ऋण प्रस्ताव ग्रहण करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि भावी ऋणी/गारंटर के सन्दर्भ में **"केवाईसी - अपने ग्राहक को जानें"** सम्बंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सूक्ष्मता से तथा सतर्कता पूर्वक किया गया है। ऋणी / गारंटर द्वारा प्रस्तुत किये गए आवश्यक दस्तावेजों की सत्यता की जांच के लिए समुचित छानबीन/सत्यापन सम्बंधित वेबसाइट से कर लिया गया है।

- **सिबिल-डेटा** की छानबीन में सावधानी बरतनी चाहिए ताकि आवेदक के अन्य सभी देयताओं की समुचित जानकारी प्राप्त हो सके। इससे आवेदक / गारंटर के वित्तीय व्यवहार की भी जानकारी मिलती है। ऋण कर्ता / गारंटर के द्वारा अपने पूर्व-ऋण से सम्बंधित दी गई जानकारी का यथोचित मिलान / सत्यापन सिबिल डेटा के आधार पर कर लेना चाहिए।

बर्तनों में जूठन बिल्कुल न छोड़े, कितनों को भोजन मिल जाएगा।

- **आयकर विवरणियों का सत्यापन** संबंधित वेबसाइट से कर लेनी चाहिए। वेतन-पर्ची तथा आयकर विवरणी को आवेदक के बैंक-खाते की विवरणी से मिलान कर प्रति-निरीक्षण (cross versification कर लें।

- ऋण-कर्ता के द्वारा प्रस्तुत किए गए **सनदी-लेखाकार** (CA) के द्वारा प्रमाणित तुलन-पत्र तथा सनदी लेखाकार के विवरण, सदस्यता आदि का प्रमाणीकरण का सत्यापन सम्बंधित वेबसाइट से कर लेना चाहिए।

- अचल संपत्ति को बंधक रखने के लिए **संपत्ति के मूल-दस्तावेजों** को प्राप्त किया जाना चाहिए।

- जब अचल-संपत्ति के बंधीकरण हेतु बंधक के द्वारा ऋण का प्रस्ताव आता है तो अन्य सभी आवश्यक कागजातों के साथ-साथ नवीनतम के संपत्ति-कर की रसीद (latest property & tax receipt) का सत्यापन कर लेना चाहिए ताकि संपत्ति के वर्तमान स्वामित्व का पता लगाया जा सके।

- स्वीकृति-पूर्व निरीक्षण-रिपोर्ट में जिस संपत्ति को स्पष्ट पहचान-योग्य बताया गया है, निरीक्षण अधिकारी को चाहिए कि वे संपत्ति का भौतिक सत्यापन करते समय मूल्यांकन रिपोर्ट तथा टाइटल-रिपोर्ट से भली-भांति मिलान कर लें । भविष्य में संपत्ति की पहचान के लिए मकान / जमीन का एक फोटो ले लें, जिसमें अड़ोस-पड़ोस के मकान / जमीन का भी कुछ हिस्सा हो।

- बैंक के अनुमोदित कानूनी सलाहकार (approved Legal Counsel) से लीगल-रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु उसको सभी दस्तावेजों की मूल प्रति ही दी जानी चाहिए। इन दस्तावेजों / कानूनी-रिपोर्ट का आदान-प्रदान सीधे ही संबंधित अनुमोदित अधिवक्ता से की जानी चाहिए, ग्राहक के माध्यम से तो कतई नहीं।

- प्रस्तावित संपत्ति के दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांचने हेतु 'सब-रजिस्ट्रार ऑफिस' से संपत्ति के दस्तावेज की 'सत्यापित प्रति' अनुमोदित अधिवक्ता के द्वारा प्राप्त किये जाने चाहिए तथा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र लिया जाना चाहिए जिसमे यह स्पष्ट उल्लेख हो कि बैंक में प्रस्तुत किए गए 'मूल दस्तावेजों' को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस से प्राप्त 'सत्यापित प्रति' से मिलान कर लिया गया है।

- बैंक के अनुमोदित कानूनी अधिवक्ता / मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त रिपोर्ट स्पष्ट तथा किसी भी प्रकार के अनेकार्थता से वंचित होना चाहिए तथा बैंक के अनुमोदित प्रारूप में ही होनी चाहिए। ऋण-अधिकारी / शाखा-प्रबंधक को ऋण-स्वीकृति से पूर्व प्राप्त रिपोर्ट का गहन अध्ययन करना चाहिए ताकि रिपोर्ट का कोई भी अंश बैंक के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है। अनुमोदित अधिवक्ता द्वारा सुझाए गए बिन्दुओं के अनुसार ही आवश्यक दस्तावेजों को प्राप्त किया जाना चाहिए।

- संपत्ति के मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध में मूल्यांकनकर्ता को यह स्पष्ट निर्देश हो कि वह संपत्ति का मूल्यांकन तीन आधार यानी बाजार मूल्य, वसूली-योग्य मूल्य तथा निकृष्ट मूल्य पर करे। रिपोर्ट में यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि मूल्यांकनकर्ता ने संपत्ति का मूल्यांकन वास्तव में संपत्ति के भौतिक / व्यक्तिगत निरीक्षण के उपरांत किया है। रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित संपत्ति की एक फोटो तथा स्थानीय नक्शा भी हो जिसमें चारों सीमाओं का स्पष्ट उल्लेख हो।

- ऋण अधिकारी / मंजूरीकर्ता अधिकारी को स्वतंत्र रूप से बाजार दरों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन कर मूल्यांकनकर्ता से प्राप्त रिपोर्ट से मिलान कर लेना चाहिए।

- प्रस्तावित ऋण के लिए संदर्भित संपत्ति पर लगे प्रभार को 'केन्द्रीय रजिस्ट्री' (CERSAI) में ऑनलाइन जांच कर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रस्तावित संपत्ति भार-मुक्त (unencumbered) है। (फिलहाल 'केन्द्रीय रजिस्ट्री' केवल 'सरफेसी' के तहत आने वाली परिसंपत्तियों पर ही लागू है।)

- कॉर्पोरेट ऋण के लिए कंपनी तथा कंपनी के तुलन-पत्र की जाँच MCA वेबसाइट से कर लेना चाहिए।

दस्तावेजीकरण

- बैंक के द्वारा स्वीकृत दस्तावेजों का ही प्रयोग करना चाहिए।
- जहाँ तक संभव हो ऋण-कर्ता / गारंटर को बैंक परिसर में ही आकर दस्तावेजों का निष्पादन करना चाहिए। इस आशय का

एक हस्ताक्षरित प्रमाण रिकॉर्ड में रखें।

- ऋण-मंजूरी पत्र में प्रस्तावित सभी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख स्पष्ट रूप से वर्णित होना चाहिए। 'ऋण के सभी नियम और शर्तें स्वीकार है' इस आशय के प्रमाण-स्वरूप मंजूरी पत्र के ऊपर ऋणकर्ता के हस्ताक्षर लिए जाने चाहिए। प्रस्तावित नियम और शर्तों के समुचित अनुपालन के पश्चात ही ऋण का भुगतान / संवितरण किया जाना चाहिए।

- यह सुनिश्चित कर लें कि ऋण-दस्तावेजों को सम्पूर्ण रूप से भर लिया गया है और कोई भी दस्तावेज आंशिक रूप से भरा हुआ नहीं है तथा दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर ले लिए गए हैं।

- ऋण-दस्तावेजों, जहाँ प्रयोज्य है, का पुनरीक्षण (vetting), बैंक के नियमानुसार करवा कर उपयुक्त प्रमाण रिकॉर्ड में रखें।

ऋण-स्वीकृति के पश्चात कार्यवाही

- अचल संपत्ति पर बंधक सृजित होने के उपरांत राजस्व-अधिकारियों (पटवारी / तहसीलदार / उप पंजीयक आदि) को समुचित नोटिस जारी कर यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उक्त संपत्ति पर बैंक के पक्ष में प्रभार अंकित कर लिया गया है तथा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र भी उपयुक्त प्राधिकारी से प्राप्त कर लिया जाना चाहिए।

- सम्पत्ति के साम्य-मूलक बंधकों (Equitable Mortgage) को, जहाँ लागू हो, 'उप-पंजीयक कार्यालय' (SRO) में पंजीकृत करवा लेना चाहिए। (कुछ राज्यों में यह अनिवार्य है)

- 'साम्य-मूलक बंधक' के जरिए बैंक के पक्ष में भार सृजित (charge creation) होने के उपरांत संपत्ति का पंजीकरण 'केन्द्रीय रजिस्ट्री' (CERSAI) में ऑनलाइन पद्धति के द्वारा अनिवार्य है।

ऋण-संवितरण के पश्चात आवश्यक निगरानी प्रायः देखा जाता है कि प्रबंधक / ऋण-अधिकारी ऋण देने के बाद ऋणी से संपर्क नहीं रखते जिससे ऋण वसूली प्रभावित होती है। अक्सर ऋण-वितरण के पश्चात के पर्यवेक्षण तथा पर्याप्त निगरानी के अभाव से धोखाधड़ी के मामले काफी विलम्ब से यानी ऋण-वसूली के दौरान ही उजागर होते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। अतः ऋण दिए जाने के बाद ऋणी के साथ नियमित संपर्क कर ऋण की निगरानी अत्यंत आवश्यक है ताकि ऋणी की गतिविधियों पर नजर रखी जाएँ, यथाः

- ऋण वितरण के पश्चात् यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ऋणी ने ऋण की राशि का उपयोग अपने आवेदन में दर्शाए गए उद्देश्य के लिए ही किया है। इस आशय का एक प्रमाण-पत्र (utilisation certificate) रिकॉर्ड में रख लें।

- बैंक को बंधक रखी जाने वाली संपत्ति का व्यापिक बीमा (Comprehensive policy)कराया जाए, जिसमें योजना के अनुसार बैंक-शर्त (Bank&clause)रखी जाए।

- नगदी-साख (Cash Credit) खाते के लेन-देन / संचालन की निगरानी अनिवार्य है ताकि बैंक-निधि को उसके निर्धारित उपयोग के विपथन (diversion)से बचाया जा सके। 'निधियों का विपथन' (diversion of fund) ही ऋण-सम्बन्धी धोखाधड़ी का मूल कारण है।

- नियमित रूप से साइट का निरीक्षण करना चाहिए ताकि प्रतिभूति और परिसंपत्ति की उपलब्धता तथा इकाई की कार्यशीलता को सुनिश्चित किया जा सके।

- समय-बद्ध तरीके से सभी विवरणियों को प्राप्त कर ऋण-खाते का समुचित आकलन करना चाहिए ताकि सुधारात्मक उपायों की सलाह देकर इकाई के संचालन को व्यवस्थित किया जा सके।

- बीमा का नियमित नवीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिएं।

- संपत्ति का मूल्यांकन बैंक के नियमानुसार नियमित अंतराल पर कर लेना चाहिए ।

निष्कर्षः उत्तम ऋण का मूल सिद्धांत है कि दी गर्ग ऋण-राशि को ब्याज-सहित समय पर वसूली करना। अतः एक बैंकर को चाहिए कि वह बैंक-निधि की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ऋण के हर स्तर पर सावधानी बरते तथा यथोचित कर्मठता का पालन कर इसकी समयबद्ध अदायगी/चुकौती हेतु ऋण की निगरानी में निरंतर प्रयत्नरत रहे कि बैंक हितों की सुरक्षा की जा सके ।

======

भूतपूर्व मुख्य प्रबंधक

दिल्ली बैंक नराकास में हमारा बैंक...

विमोचन

पत्रिका के सितंबर 2017 के अंक विमोचन दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 47वीं छमाही बैठक के दौरान गृह मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के उच्चाधिकारी तथा नराकास अध्यक्ष के कर कमलों द्वारा किया गया। चित्र में मंत्रालय के उच्चाधिकरियों के साथ प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग के विभागध्यक्ष, तथा अन्य स्टाफ सदस्य दृष्टव्य हैं।

नराकास पत्रिका ''बैंक भारती'' में प्रकाशित श्रेष्ठ रचनाओं पर विशेष पुरस्कार

राजिंदर सिंह बेवली, प्रथम पुरस्कार (लेख)

प्रदीप रॉय की अनुपस्थिति में श्री कौशलेन्द्र कुमार ने द्वितीय पुरस्कार (कहानी) प्राप्त किया।

सुश्री आरती, पुरस्कार लेते हुए।

ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ

ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਇਤਿਹਾਸ

ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ

'ਵਿਸਾਖੀ' ਨਾਮ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਾ ਤਿਓਹਾਰ ਹੈ।ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਪਰੀਵਰਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰੰਭ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ 'ਰਬੀ' ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਨਹਾ-ਧੋ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਓਹਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ 13 ਅਪਰੈਲ 1699 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਿਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਵਖ-ਵਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਕਤ੍ਰਿਤ ਸੰਗਤ ਵਿਚੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ (ਲਾਹੋਰ ਨਿਵਾਸੀ ਦਯਾ ਰਾਮ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਧਰਮਦਾਸ, ਜਗੰਨ ਨਾਥ ਨਿਵਾਸੀ ਹਿੰਮਤ ਰਾਇ, ਦੁਆਰਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ,ਅਤੇ ਬਿਦਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ) ਨੇ ਅਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਕਨਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ।ਅੰਦਰੋਂ ਲਹੂ ਦੀ ਦਾਰ ਵਗਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪੰਜੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰੀਚਿਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੰਥ "ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ" ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਗਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਸ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਸਾਬਤ-ਸੂਰਤ ਰੱਖਣ, ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਰਖਣ,ਆਤਮ-ਰਖਿਆ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾਣ ਰੱਖਣ, ਸੰਜਮ ਲਈ ਕਛਿਹਰਾ ਧਾਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ੪ ਰਹਿਤਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਲਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 'ਸਿੰਘ' ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 'ਕੌਰ' ਲਗਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ .ਖਾਸ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗਾਇਨ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

.ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਣ ਪਿਛੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤਿਓਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਥਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵ ਅਪਣੇ ਬਨਵਾਸ-ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਟਰਾਜ ਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲਗੀ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਰੋਂ ਭਰਾ ਜਿਸ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਉਥੇ ਯਕਸ਼ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਲਗੀ ਦੇਖ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਗੇ ਤਾਂ ਯਕਸ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਯਕਸ਼ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਓਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਤਰੇਏ ਭਰਾ ਸਹਿਦੇਵ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਓਂਕਿ ਮਾਤਾ ਮਾਦਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਕੁੰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਉਂਦਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਯਕਸ਼ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੇਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਪ- ਮਹਾਂਦੀਪ ਪੂਰਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਵ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਨਮ-ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਬੋਧ ਵੈਸਾਖ' ਜੋ 'ਵੇਸਾਕ' ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ .ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਪੋਹੇਲਾ', 'ਬੋਹਾਗ', 'ਬਿਹੂ', ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 'ਵਿਸ਼ੂ', ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 'ਨੱਬ ਵਰਸ਼ਾ',ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 'ਪੁਥੰਡੂ' ਆਦਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਿਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਅਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਵਸਤਰ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਬਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਅਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨਾਡਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ .ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ-ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਿੰਦੂ ਇਸਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਵਜੋਂ ਮਨਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਵਿਸਾਖੀ ਇਕ ਲੋਕ ਤਿਓਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਵ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਓਹਾਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਓਹਾਰ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ (ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ)

हिंदी रूपांतर

बैसाखी का आलौकिक इतिहास

डा.चरनजीत सिंह

'बैसाखी' नाम बैसाख से बना है। बैसाखी पंजाब, हरियाणा और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्यौहार है। बैसाख का आगमन प्रकृति के परिवर्तन का सूचक है। किसान सर्दियों की फसल काटने और नए साल के आरंभ की खुशी में खुशियाँ मनाते हैं। यह त्यौहार रबी की फसल के पकने की खुशी का प्रतीक है। इस दिन किसान सुबह उठ कर नहा-धोकर मंदिरों, गुरद्वारों में जाकर परमात्मा का अच्छी फसल देने के लिए धन्यवाद करते हैं। इस त्यौहार पर पंजाब, हरियाणा के लोग अपने रीति-रिवाज अनुसार भांगड़ा और गिद्दा डालते हैं। यह त्यौहार पूरे उत्तर भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।

13 अप्रैल 1699 की बैसाखी के दिन सिखों के दसवें गुरू श्री गुरू गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में हजारों की गिनती में एकत्रित हुए भिन्न-भिन्न स्थानों से आए हुए श्रद्धालुओं से एक शीश की मांग की। एकत्रित श्रद्धालुओं में से एक-एक करके पाँच श्रद्धालु- लाहौर से आए दया राम, सहारनपुर निवासी धर्मदास, जगन्नाथ से आए हिम्मत राय, द्वारका निवासी मोहकम चंद और बिदर निवासी साहिब चंद जी ने अपना शीश गुरू जी को अर्पण कर दिया। गुरू जी इनको एक-एक करके कनात के पीछे ले गए। भीतर से लहू की धार बहती दिखाई दी। यह पाँचों श्रद्धालु गुरू जी की परीक्षा में .खरे उतरे।

गुरू जी ने इन पाँचों श्रद्धालुओं को पाँच प्यारों के रूप में परिचित करवाया। इन पाँचों प्यारों को खंडे-बांटे तथा अमृत छका कर के स्वयं भी इनसे अमृत ग्रहण कर एक नये पंथ, खालसा पंथ की नींव रखी। गुरू जी ने इन पाँचों प्यारों को अपने नाम के साथ सिंह लगाने के निर्देश दिए। केश और दाढ़ी साबुत-सूरत रखने, केशों को संवारने के लिए सिर में कंघा रखने, आत्म रक्षा के लिए कृपाण रखने, संयम के लिए कछिहरा धारण करने और हाथ में कड़ा पहनने का हुक्म भी दिया। इस घटना के बाद गुरू गोबिंद राय से गुरू गोबिंद सिंह कहलाए और सिखों को अपने नाम के साथ सिंह और औरतों के नाम के साथ कौर लगाना लाज़मी कर दिया।

इस तरह यह दिन इतिहास में, .खास यादगार बन गया।

बैसाखी वाले दिन गुरद्वारों में शब्द-कीर्तन का गायन, नगर कीर्तन और लंगर का आयोजन किया जाता है।

खालसा पंथ तैयार करने के पीछे गुरू गोबिंद सिंह जी का मुख्य उद्देश्य समाज के दबे- कुचले लोगों का मनोबल बढ़ाना था। साथ ही समकालीन शासकों के जुल्मों से मुक्त करा के उन्हें धार्मिक, नैतिक, और व्यवहारिक जीवन को श्रेष्ठ बनाना था।

इस त्यौहार से जुड़ी एक और कथा महाभारत के समय की है। कहा जाता कि जब पाँडव अपने वनवास काल के समय पंजाब के कटराज ताल पहुँचे तो उन्हें जोर की प्यास लगी। युधिष्ठर के इलावा चारों भाई जिस सरोवर के पास पहुँचे वहाँ यक्ष के मना करने के बावजूद भी पानी पी लिया। पानी पीते ही उन चारों भाईयों की मौत हो गई। भाइयों को देर लगी देख युधिष्ठर उस सरोवर के पास पहुँच पानी पीने लगे तो यक्ष ने उससे कुछ प्रश्न पूछे। युधिष्ठर ने उनके सारे सवालों के ठीक उत्तर दे दिए। यक्ष ने युधिष्ठर को उसके भाईयों की मौत के बारे में बताया और साथ ही कहा- कि क्योंकि उसने सारे सवालों के ठीक उत्तर दे दिए हैं इस लिए वह मृत भाईयों में से किसी एक को जीवित करवा सकता है। युधिष्ठर ने अपने सौतेले भाई को जीवित कर देने को कहा, क्योंकि माता माद्री का पुत्र भी माता कुंती के पुत्रों की तरह जीवित रहना चाहिए। युधिष्ठर का यह विचार सुन कर यक्ष ने चारों भाइयों को जीवन- दान दे दिया। तब से ही इस पवित्र नदी के किनारे विशाल मेला लगता है और जलूस भी निकलता है।

यह त्यौहार सिखों और हिंदुओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय उप महाद्वीप एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में यह त्यौहार महात्मा बुद्ध के जन्म-दिन के रूप में बोध बैसाख जो बैसाख कहलाता है के रूप में मनाया जाता है। **(भारत के अन्य क्षेत्रों में यह त्यौहार पोहेला, बोहाग, बिहु केरल में विसु, बंगाल में नव बर्षा, तमिलनाडू में पुधंडु आदि नाम से मनाया जाता है।)**

यह त्यौहार व्यापारियों के लिए भी बड़ा अहम है। इस दिन देवी दुर्गा और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। कईं स्थानों पर व्यापारी लोग आज के दिन नए वस्त्र धारण करके अपने बही-खातों को आरंभ करते हैं। यह त्यौहार भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अमरीका, कनाडा, युनाइटेड किंगडम, मलेशिया व अन्य कईं विदेशी मुल्कों में भी बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। बैसाख का त्यौहार आपसी भाईचारे का प्रतीक है। यह त्यौहार जहाँ सिखों के लिए खालसे के जन्म-दिन के रूप में मनाया जाता है वहीं हिंदू इसे पवित्र नदियों में स्नान करने के महात्म के तौर पर मनाते हैं।

दरअसल बैसाखी एक लोक-त्यौहार है। यह त्यौहार आपसी एकता, भाईचारे, आपसी प्रेम प्यार बढ़ाने, अध्यात्मिक और धार्मिक भावनाओं को प्रफुल्लित करने का पर्व है। यह त्यौहार जाति और धर्म के आधार पर भेद-भाव भुला कर मानवीय संबंधों को मजबूत करने का त्यौहार है।

पूर्व मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

हिंदी पखवाडे में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार सिंह, (आई.ए. एस.) कार्यकारी निदेशक श्री फरीद अहमद तथा श्री गोविंद एन. डोंग्रे

तथा प्रमाण-पत्र देते हुए बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय श्री जतिन्दर बीर तथा अन्य उच्चाधिकारीगण।

समरथ को नाहिं दोष गुसांई

डॉ. नीरू पाठक

जब भी कहीं जातिवाद का प्रश्न आता है तब सभी की जुबान पर भारतवर्ष का नाम आता है और विशेषकर सभी धर्मों की मान्यताओं पर भी अंगुली उठाने का मौका सभी को मिल जाता है कि पुरातन काल से भारतवर्ष अंधविश्वास, धार्मिक कर्मकांड, सती-प्रथा तथा जाति-प्रथा जैसी अनेक कुरीतियों से ग्रस्त है। यहाँ तक की जिन संप्रदायों ने जातिवाद का विरोध किया कुछ समयोपरांत वे भी जातिवाद का शिकार हो गए। सभी के विषय में तो नहीं लेकिन जहाँ तक जाति का प्रश्न है मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि यह सारी दुनिया मात्र दो ही जातियों में बंटी है पहली है निर्बल लोगों की और दूसरी है सबल लोगों की। व्यक्ति हो, परिवार हो, समाज हो या कोई राष्ट्र या यूँ कहें कि समस्त संसार में, जड़ हो या चेतन, पेड़-पौधे हों या पशु-पक्षी, निर्बल को कोई भी जीने नहीं देता यह कहना भी गलत नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस में यह उक्ति कही है-

समरथ को नाहिं दोष गुसाईं।
रवि पावक सुरसरि की नाईं।।

अर्थात् समर्थ व्यक्ति चाहे कितना ही गलत क्यों न हो, उसे कोई भी गलत नहीं कहता, उसे कोई भी दोष नहीं देता बल्कि उस गलती में भी कुछ सही छिपा है ऐसा बतलाया जाता है जबकि असमर्थ की छोटी सी भूल भी विशाल रूप ले लेती है, उसकी राई समान गलती भी पहाड़ समान हो जाती है और कई बार तो उसकी सही बात भी गलत ठहरा दी जाती है।

ऐसा नहीं है कि यह केवल मानव समाज में है बल्कि प्रकृति भी इससे अछूती नहीं है। बरगद का विशाल पेड़, अपने नीचे की भूमि पर किसी और लता एवं पौधे को पनपने ही नहीं देता, धरती के भीतर से मिलने वाली सारी उर्वरता को केवल स्वयं के लिए ही लेता है। यदि कोई पौधा पनपने का साहस भी करता है तो वह बौना ही रह जाता है। दूसरी और अमरबेल की धृष्टता देखें। वह जड़-मूल के न होने पर भी बड़े-से-बड़े पेड़ पर पनप कर बल्कि उसी वृक्ष से अपना भोजन प्राप्त कर उस वृक्ष को सूखा ही देती है और स्वयं हरी-भरी रहती है। है न आश्चर्यजनक! किस प्रकार एक बेल अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक हरे-भरे वृक्ष को सूखा देती है। यह कहावत ठीक ही बनी है जिसकी लाठी उसी की भैंस अर्थात बलवान व्यक्ति अपनी वस्तु न होने पर भी दूसरे की वस्तु को हड़प सकता है अपना बना सकता है।

कहा जाता है कि जीवन का आरंभ जल से हुआ, अगर हम दृष्टि डालें जल-जीवन पर तो नदी-नाले-तालाब हो या विशाल समुद्र, बड़ी मछली अपने से छोटी मछली तथा जलचर जीवों को खाकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करती है। खाद्य श्रृंखला के अनुसार तो प्रत्येक जीव अपनी सुरक्षा तथा वंश वृद्धि के लिए अपने से छोटे तथा निर्बल को भोजन बनाता है, शाकाहारी घास-फूस खाते हैं तो मांसाहारी उनका शिकार करते हैं। प्रकृति के इसी नियम के आधार पर ही अनादिकाल से यह व्यवहार चला आ रहा है। लेकिन जहाँ तक वन अथवा जल में या यूं कहें कि मानव-समाज के अतिरिक्त कहीं भी केवल क्षुधा को शांत करने के लिए ही आक्रमण किया जाता है। शेर भी तब ही शिकार करता है जब वह भूखा होता है तथा पेट भरने पर शिकार को दूसरे पशुओं के लिए छोड़ देता है जिससे कि वे भी अपनी भूख मिटा सकें किंतु मानव समाज में यह पिपासा अंतहीन है। साम, दाम, दंड, भेद किसी भी प्रकार से संग्रह की प्रवृत्ति मानव में कूट-कूट कर भरी है।

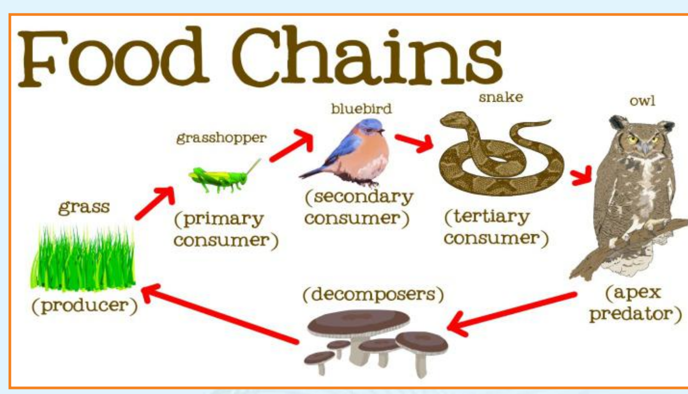

(समरथ शब्द का अर्थ है - शक्ति । लेकिन प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार की शक्ति। धन की शक्ति, सृजन की शक्ति, विध्वंस की शक्ति, शरीर की शक्ति, पद की शक्ति, शस्त्र की शक्ति तथा विज्ञान की शक्ति, यह शक्ति के विभिन्न रूप हैं।) लेकिन समय या युग प्रभाव देखें तो चिरकाल से ऐसा ही चलन है कि शक्ति यदि सृजनात्मक अथवा रचनात्मक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है तो वह हितकारी होती है जबकि इसके विपरीत जब यही शक्ति व्यक्ति के अहम से जुड़ जाती है तो विध्वंसकारी हो जाती है।

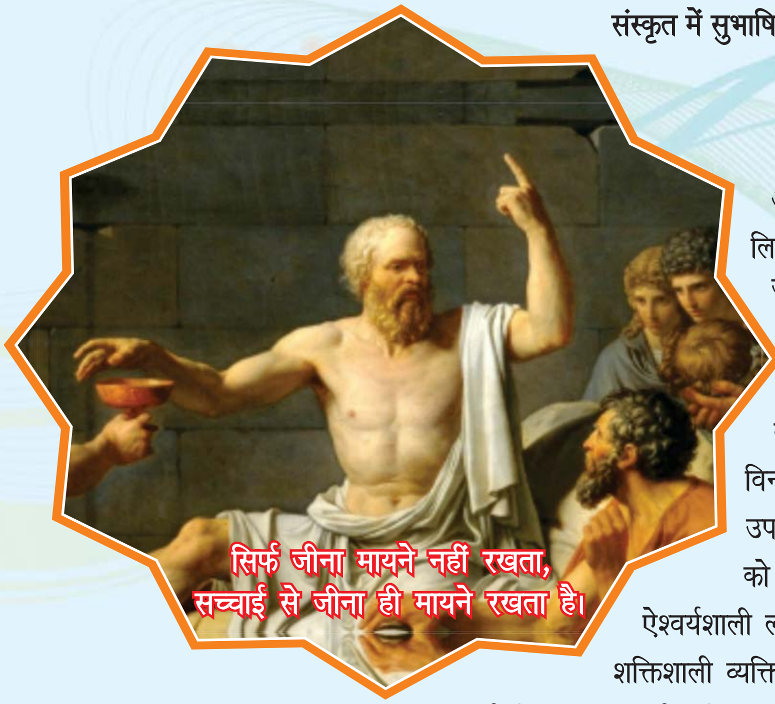

संस्कृत में सुभाषितानि का श्लोक है –

विद्या विवादाय धनम् मदाय शक्ति परेषाम् परिपीड़नाय।
खलस्य साधू विपरीतमेतम् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय।।

अर्थात् दुष्ट व्यक्ति अपनी विद्या को विवाद के लिए, धन को अहंकार के लिए तथा अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को पीड़ा देने के लिए करता है जबकि इससे विपरीत सज्जन व्यक्ति अपने विद्या रूपी ज्ञान को दूसरों में बांटते हैं, धन को गरीबों में दान करते हैं तथा शक्ति का प्रयोग दूसरों की पीड़ा को हरने में तथा रक्षा करने में करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शक्ति यदि दुष्ट के पास है तो उसका प्रभाव विनाशकारी होगा जबकि सज्जन व्यक्ति उसका सदुपयोग करेगा, उसका उपयोग परोपकार के लिए करेगा। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए हम महाज्ञानी, महाशक्तिशाली तथा ऐश्वर्यशाली लंकापति रावण को ले सकते हैं कहते हैं कि उससे बड़ा ज्ञानी तथा शक्तिशाली व्यक्ति पृथ्वी पर दूसरा नहीं हुआ किंतु उसने अपने अहंकार के कारण अपनी विद्या का, अपनी शक्ति का या यह कहना गलत नहीं होगा कि सभी गुणों का गलत प्रयोग किया। उसने अपनी असीम शक्ति का प्रयोग निर्बल ऋषि-मुनियों का संहार करने में किया और उस समय उसका सामना करने वाला अथवा उसके विरूद्ध आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं था बल्कि उसके गलत कृत्यों को उसके सभासद सही कहकर उसकी चापलूसी करते थे जब हम वर्तमान समय पर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि विश्व की बड़ी शक्तियाँ/विकसित देश छोटे तथा गरीब देशों को अपनी नीतियों के अनुसार चलने पर विवश करते हैं और उन्हें अपने ही देश में कोई बड़ा फैसला लेने का भी अधिकार नहीं होता, और कोई उन्हें गलत कहने की हिम्मत भी नहीं करता और यदि कोई उनके खिलाफ आवाज उठाने का दु:साहस करता है तो उन्हें कुचलने का हर संभव प्रयास किया जाता है उदाहरण के लिए हम दार्शनिक सुकरात का जीवन देखें तो जानेंगे कि कैसे उनकी सही उक्तियों का भी वहाँ के राज परिवार ने गलत अर्थ निकाला और उन्हें पहले कारावास में डाला तथा बाद में अपनी बात पर अडिग रहने पर उन्हें जहर दे दिया। इसी प्रकार प्रसिद्ध वैज्ञानिक कॉपरनिक्स के यह कहने पर कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, दंडित किया गया। इतिहास क्या वर्तमान भी इस सब से अछूता नहीं है। विश्व के कई छोटे देश शक्तिशाली देशों का मुकाबला नहीं कर पाते, जैसाकि तिब्बत जैसा शांतिप्रिय देश चीन जैसे देश के अधीन है और कोई भी उसे चुनौती देने में असमर्थ है। कहने का तात्पर्य यही है कि चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, देश हो, **समरथ को न दोष गुसांई। समरथ को नाहिं दोष गुसाई रवि पावक सुरसरि की नाई।।**

प्रधान कार्यालय,राजभाषा विभाग

पत्रिका की डाक सूची में संशोधन

प्रिय पाठकगण,

आपका नाम पी एण्ड एस बैंक 'राजभाषा अंकुर' पत्रिका की डाक सूची में डला हुआ है और हमारा प्रयास रहता है कि पत्रिका आपको निरंतर मिलती रहे। पाठकों के द्वारा भेजे जा रहे उच्च स्तरीय लेखों, जानकारीपरक रचनाओं, छायाचित्रों और अन्य उपयोगी सामग्री के सहयोग से पत्रिका भारतीय रिजर्व बैंक सहित अन्य संस्थानों द्वारा विभिन्न शील्ड और पुरस्कार पाने में सफल रही है। पत्रिका के बारे में हम आपके विचार भी जानना चाहते हैं। पत्रिका की डाक सूची में आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। यदि आप पत्रिका को अपने लिए उपयोगी मानते हैं और चाहते हैं कि पत्रिका आपको भविष्य में भी प्राप्त होती रहे तो आप कृपया अपना नाम, पूरा पता, और फोन या मोबाइल नं. संपादक, पी एस बी 'राजभाषा अंकुर' पत्रिका, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग, प्रथम तल, बैंक हाउस, 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली- 110 125. को अथवा hindipatrika@psb.co.in को भिजवा दें। आपकी ओर से कोई जानकारी प्राप्त न होने की स्थिति में हम भविष्य में आपको अपनी संशोधित डाक सूची में डालने में असमर्थ रहेंगे।

मुख्य संपादक

हिंदी/पंजाबी कार्यशाला

प्रधान कार्यालय में उच्चाधिकारियों के निजी सहायकों के लिए विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया।

आँचलिक कार्यालय, जालंधर

सहभागी

हिंदी/पंजाबी कार्यशाला

आँचलिक कार्यालय, होशियारपुर

आँचलिक कार्यालय, पटियाला

आँचलिक कार्यालय, लखनऊ

आँचलिक कार्यालय, जयपुर

सहभागी

राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा

अनिल शुक्ला

19 वीं शताब्दी में सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल के नेताओं ने हिन्दी के अखिल भारतीय महत्व को पहचानकर ही हिन्दी भाषा को 'राष्ट्रभाषा' नाम दिया था। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय ने एक पत्रिका निकालनी शुरू की थी जिसमें उपनिषदों के मंत्रों की हिन्दी में व्याख्या वे स्वयं करते थे। आचार्य केशवचंद्र सेन अपने समाचार पत्र 'सुलभ समाचार' द्वारा राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी अपनाने पर बराबर जोर देते थे, उनके एक लेख का तो शीर्षक ही था, 'हिन्दी ही अखिल भारत की जातीय भाषा या राष्ट्रभाषा बनने के योग्य है।'

आजादी से पूर्व ऐसी स्वतंत्रता की लहर थी कि भारतवर्ष के कोने- कोने से, सभी मतभेदों और विभिन्नताओं को भुलाकर एक साझे मंच से स्वाधीनता संग्राम का बिगुल बज रहा था जिसकी भाषा हिन्दी ही थी बल्कि यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में जन-जन की भाषा हिन्दी ही थी। स्वतंत्रता आन्दोलन का प्रमुख लक्ष्य यद्यपि राजनैतिक आजादी प्राप्त करना था, पर इस आन्दोलन के नेताओं ने उन सभी चीजों के लिए भी संघर्ष जारी रखा जिनका संबंध सांस्कृतिक पुनर्जागरण आन्दोलन से था। यही कारण है कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, राष्टीय शिक्षा का विकास करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, 'राष्ट्रभाषा' का प्रचार करना आदि स्वतंत्रता आन्दोलन के भी मुख्य बिन्दु थे। महात्मा गांधी के पास आधुनिक शिक्षा प्राप्त अनेक युवक- युवतियाँ अधेड़-प्रौढ़ इस इच्छा से आते थे कि हम भी देश - सेवा करना चाहते हैं, हमें काम बताइए। गांधी जी का पहला प्रश्न होता था कि आपको हिन्दी आती है? यदि नहीं, तो पहले हिन्दी सीखिए। देश सेवा की यह पहली सीढ़ी है। न केवल हिन्दी क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी बल्कि भारत के सभी क्षेत्रों से यथा महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, सुब्रमण्यम भारती, लाला लाजपतराय, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, सरदार पटेल, काका कालेलकर, में पंडित नेहरू आदि स्वतंत्रता आन्दोलन के सभी नेताओं ने 'राष्ट्रभाषा' के रूप में हिन्दी को न केवल स्वयं अपनाया, बल्कि उसे अपनाने के लिए दूसरों को भी प्रेरित किया।

इसी का परिणाम था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि संघ की राजभाषा हिन्दी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी, उसमें भारतीय अंकों के अन्तरराष्ट्रीय रूप का प्रयोग किया जाएगा,पर संविधान लागू होने के बाद भी 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। उसी दिन स्वतंत्र भारत की सरकार की राजभाषा नीति की आधारशिला रखी गई।

19 वीं शताब्दी में सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल के नेताओं ने हिन्दी को 'राष्ट्रभाषा' कहा था । स्वाधीनता संग्राम के नेता भी इसी शब्द का प्रयोग करते थे, पर संविधान सभा ने 'संघ' की राजभाषा शब्द का प्रयोग किया तथा संविधान सभा में भी हिन्दी को 'संघ की राजभाषा' कहा गया है। वस्तुत : राष्ट्रभाषा और राजभाषा, इन दो शब्दों की संकल्पनाओं में कुछ अन्तर है,जो संक्षेप में नीचे प्रस्तुत है:

	राष्ट्रभाषा	**राजभाषा**
1.	राष्ट्रभाषा सरकारी व्यवस्था और प्रयास पर नहीं, बल्कि आम जनता के प्रयोग से स्वत :विकसित होती है।	**राजभाषा मुख्यत: सरकारी व्यवस्था और प्रयास पर निर्भर करती है। आम जनता के प्रयोग द्वारा स्वत : विकसित नहीं होती ।**

2.	आम जनता प्रयोग करती है।	मुख्यत : सरकारी कर्मचारी प्रयोग करते हैं।
3.	आम जनता अपने सामान्य कामों के लिए इसका व्यवहार करती है। अत: इसमें बोलचाल के सामान्य प्रचलित शब्दों का प्रयोग होता है।	सरकारी कर्मचारी शासकीय कार्यों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अत : इसमें शासकीय कार्यों से संबंधित विशेष शब्दों का प्रयोग अधिक होता है।
4.	आम जनता से संबंधित होने के कारण इसमें सरलता होती है।	सरकारी कामकाज से संबंधित होने के कारण इसमें विशिष्टता होती है।
5.	राष्ट्रभाषा में बोलचाल के ऐसे शब्दों का भी प्रयोग होता है जिनका एक से अधिक अर्थ होता है, जैसे :- बम्बइया हिन्दी में 'लफड़ा'- ट्रैफिक जाम है तो लफड़ा, रेल समय से पहले आ जाए तो लफड़ा, देर से आए तो लफड़ा,कोई प्यार करे तो लफड़ा और झगड़ा करे तो भी लफड़ा।	राजभाषा में अर्थ की स्पष्टता बनाए रखना आवश्यक होता है, अत: एक शब्द का सामान्यतया एक ही अर्थ होता है।
6.	राष्ट्रभाषा के माध्यम से आम तौर पर सामान्य कार्य ही सम्पन्न किए जाते हैं।	राजभाषा के माध्यम से सामान्यता जटिल कार्य सम्पन्न किए जाते हैं जिनमें तकनीकी और कानूनी कार्य भी शामिल हैं।
7.	राष्ट्रभाषा में आम तौर पर शब्दों की एकरूपता बनाए रखना आवश्यक नहीं होता।स्थानीय शब्दों के प्रयोग की पूरी छूट होती है। अत : राष्ट्रभाषा की कई शैलियां विकसित हो जाती हैं, जैसे- बम्बइया हिन्दी,कलकतिया हिन्दी आदि। 'लाल स्याही वापरिये' का प्रयोग राष्ट्रभाषा की बम्बइया शैली में नहीं।	राजभाषा में शब्दों की,विशेषकर तकनीकी एवं कानूनी शब्दावली में,एकरूपता आवश्यक होती है। स्थानीय शब्दों के प्रयोग की वैसी छूट नहीं होती है। अत : हर स्थान के व्यक्ति को शब्दों की एकरूपता का निर्वाह करना आवश्यक होता है।
8.	राष्ट्रभाषा के अधिकांश शब्दों का अर्थ सन्दर्भ से ही स्पष्ट हो जाता है। इसलिए राष्ट्रभाषा सरल प्रतीत होती है।	राजभाषा के अधिकांश शब्द पारिभाषिक होते हैं। इनका अर्थ केवल सन्दर्भ से स्पष्ट नहीं होता।पारिभाषिक शब्दों के अर्थ सीखने ही पड़ते हैं, जिसके बिना वह कठिन प्रतीत होती है।
9.	राष्ट्रभाषा के प्रयोग का क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि वह देश की बहुसंख्यक जनता के व्यवहार एवं सम्पर्क की ऐसी भाषा है जो उन्हें राष्ट्रीयता का अहसास कराती है।	राजभाषा के प्रयोग का क्षेत्र मुख्यत : सरकार के कार्यों तक सीमित है। यदि राज्य/ देश में बोली जाने वाली भाषा ही सरकारी कामकाज की भाषा है तो वह राज्य/देश के साथ आत्मीयता का अहसास कराएगी। यदि वह किसी विशेष वर्ग की भाषा है तो केवल उस वर्ग को आपस में आत्मीयता का अहसास होगा, शेष वर्गों से वह अपने को कटा हुआ महसूस करेगा।
10.	राष्ट्रभाषा का सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विशेष महत्व होता है।	राजभाषा का सरकारी कामकाज की दृष्टि से विशेष महत्व होता है।

राष्ट्रभाषा और राजभाषा के इस स्वरूपगत अंतर को ध्यान में रखकर ही हमें संविधान के उन मार्गदर्शी सिद्धांतों को समझने का प्रयास करना चाहिए ।

प्रधान कार्यालय अग्रिम विभाग

पुत्र प्रेम......

सुश्री अर्चना

बाबू रामदास एक पढ़े लिखे वकील थे, अच्छी जमीन जायदाद जमींदारी उनके चरण चूमती थी लकिन जब कोई खर्च सामने आता था तब उनके मन में स्वभावतः प्रश्न उठता था, इसमें मेरा उपकार होगा या किसी अन्य का। यदि दोनों में से किसी का भी उपकार होता तो बड़ी निर्दयता से उस खर्च का गला दबा देते थे, व्यर्थ पैसा खर्च करना रामदास जी को विष के समान लगता था।

रामदास जी के दो पुत्र थे बड़े का नाम इन्दर और छोटे का नाम सुन्दर था दोनों पढ़ने में तेज थे पर पिता का स्नेह इन्दर पर अधिक था। पिता को इन्दर से बहुत उम्मीदें थी वकालत पास करवाना उनकी इच्छा थी। किंतु संयोग से इन्दर को बी.ए. की परीक्षा के बाद तेज ज्वर चढ़ गया। वह दिनों-दिन कमजोर होता गया शरीर क्षीण होने लगा, यह देखकर बाबू रामदास चिन्ता में डूब गए। डॉक्टर के इलाज के बाद भी इन्दर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, परीक्षा में प्रथम आने पर भी इन्दर को अंदर से कोई खुशी नहीं थी। उसे अपना जीवन बोझ सा लगने लगा अपने पिता की बातें सुनकर उसका मन विचलित हो जाता था ।

एक दिन रामदास जी ने डॉक्टर को बुलाकर पूछा इतने दिन इलाज करते-करते हो गए, दवा असर क्यों नहीं करती। यह सुनकर कुछ देर मौन रहकर डॉक्टर बोले आपके पुत्र को भयंकर बिमारी है, जिसका इलाज आपको बाहर जाकर करवाना पड़ेगा। यह सुनकर बाबू रामदास जी चुप हो गए कुछ ही क्षण बाद शीघ्र ही पूछ लिया बाहर ले जाने में कितना खर्च आ जाएगा। डॉक्टर ने तीन हजार जैसे ही बोला मानों बाबू जी के पैरों तले की जमीन खिसक गई हो। सोचने लगे जब बीमारी ठीक ही नहीं होती है तो यह पैसे व्यर्थ खर्च करना है, उधर इन्दर लेटे-लेटे बड़े-बड़े डॉक्टरों के व्याख्यानों को पढ़ा करता। उनके अनुभवों से अपनी अवस्था की तुलना करता था उसने अपने जीवन की चिंता छोड़ दी थी। उसको अपने पिता के बारे में पता था कि वह मेरी बीमारी पर खर्च नहीं करेगें। घर वालों की निगाह बचाकर औषधियाँ जमीन पर फेंक देता था। उसके भावों में उदासीनता आ गई थी।

बाबू रामदास जी को जब परिणाम विदित हो गया कि इस प्रकार धन का अपव्यय करने से क्या लाभ लेकिन कुछ तो पुत्र प्रेम और कुछ लोकमत के भय से, इलाज तो करा ही रहे थे।

जाड़े का मौसम था, रामदास जी पुत्र के सिरहाने बैठकर डॉक्टर की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे। डॉक्टर के जाने के बाद छोटे पुत्र, माँ और रामदास जी में, पुत्र को लेकर विवाद छिड़ गया, माँ के अधिक कहने पर पुत्र को बाहर भेजने की योजना सफल हो गई, लेकिन बाबूजी का कहना था एक संदिग्ध फल के लिए तीन हजार रुपए खर्च करना बुद्धिमता के प्रतिकूल है। छोटा पुत्र पिता कि इस बात से सहमत था कि पूर्व पुरूषों की संचित जायदाद व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। पत्नी ने डरते-डरते कहा आधा हिस्सा इन्दर का भी है बाबूजी तिरस्कार करते हुए आधा नहीं मैं सारा दे देता, खानदान की मर्यादा ऐश्वर्य बढ़ाता, मैं केवल भावुकता में पड़कर धन का ह्रास नहीं कर सकता ।

देखते-देखते इन्दर की हालत बिगड़ती गई और वह परलोक सिधार गया रामदास जी घर पर सगे संबंधियों के साथ चिता की ज्वाला की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्घांत पर से गायब हो गया। मन में विचार आया शायद इलाज के लिए बाहर भेज देता तो स्वस्थ हो जाता, तीन

बदला लेने की जगह बर्दाश्त करने वाला कहीं आगे जाता है।

हजार का मुँह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया यह कल्पना प्रतिक्षण सजग हो रही थी उसकी ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से हृदय को बेध रही थी। रह-रहकर वेदना की शूल सी उठती थी उनके अंतर में। मन की ज्वाला उस चिता की ज्वाला से कम दग्धकारिणी न थी।

सज्जन ने बड़ी सरलता से कहा बड़े-बड़े शहरों में इलाज करवा दिया सूखकर काँटा हो गए थे। युवक ने गदगद स्वर से कहा, रूपया पैसा हाथ का मैल है। कही से आता है, कही चला जाता है। मनुष्य नहीं मिलता। जिन्दगानी है तो कमाकर खाऊंगा, पर मन में यह लालसा तो नहीं रही कि अपने पिता के इलाज में कोई कसर छोड़ दी।

हम तो कहते है कोई हमारा सारा घर अपने नाम लिखा ले, केवल पिता को एक बार बुला दे। इसी मोह माया का नाम जिन्दगानी है, नहीं तो इसमें रक्खा क्या है। धन से प्यारी जान, जान से प्यारा इमान। बाबू साहब आपसे सच कहता हूँ अपना ही चिंतन अपने को धिक्कारता है। उनकी आत्मा सुख शांति से रहेगी तो मेरा कल्याण भी होगा।

बाबू रामदास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे, एक-एक शब्द उनके हृदय में शूल के समान चुभ रहे थे। इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदय-हीनता, अपनी आत्म शून्यता भयंकर दिखाई दे रही थी। हृदय की विकलता बढ़ती जा रही थी। जैसे दर्द की बाढ़ सी आ गई हो। आँखो से अविरल धारा बहने लगी। उन्हें लग रहा था, धन-संपदा होने पर भी मानो आज वो संसार के सबसे निर्धन व्यक्ति हैं।

अकस्मात् उनके कानों में शहनाई की आवाज आई। मनुष्यों का समूह एक अर्थी के साथ आता दिखाई दिया वे सब ढ़ोल बजाते, गाते, पुष्पों की वर्षा करते आ रहे थे। घाट पर पहुंचकर अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक सज्जन बाबूजी के पास खड़ा हो गया, बाबूजी ने पूछा यह कौन है। सज्जन ने जवाब दिया ये हमारे पिताजी है। हजारों रुपये खर्च कर दिए। कई सौ आदमी साथ आए है। यहां तक आने में सैंकड़ो उठ गए, पर सोचता हूँ, बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई। धन और है ही किस लिए।

सेवानिवृत्त अधिकारी

गौरव के क्षण

छत्तीसगढ़ राज्य स्थित शाखा भिलाई को नराकास भिलाई-दुर्ग द्वारा वर्ष 2017 में राजभाषा कार्यान्वयन में उल्लेखनीय योगदान के लिए सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ। चित्र में शाखा प्रबंधक श्री सुरेन्द्र कुमार वैद्य पुरस्कार प्राप्त करते हुए।

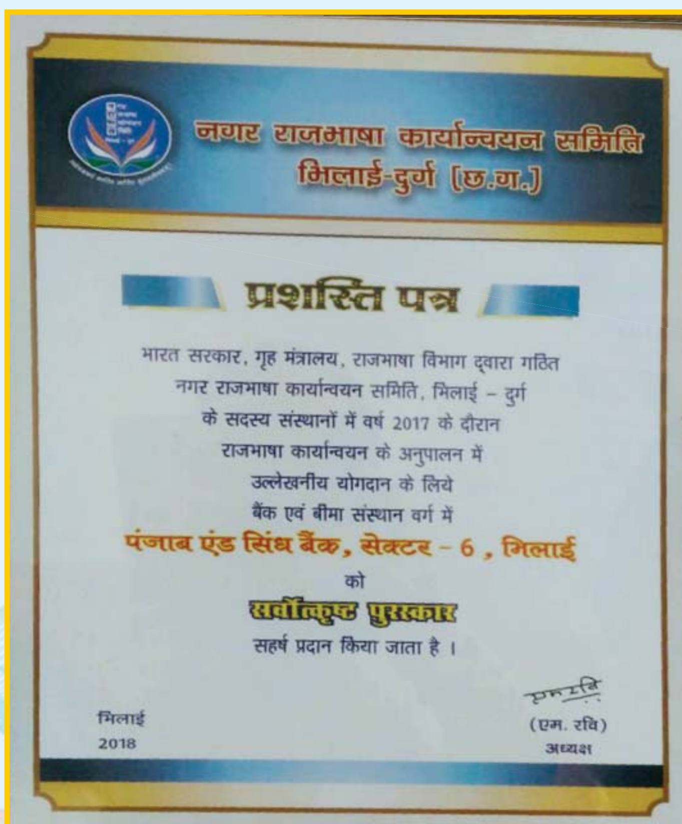

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
भिलाई-दुर्ग (छ.ग.)

प्रशस्ति पत्र

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा गठित
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भिलाई - दुर्ग
के सदस्य संस्थानों में वर्ष 2017 के दौरान
राजभाषा कार्यान्वयन के अनुपालन में
उल्लेखनीय योगदान के लिये
बैंक एवं बीमा संस्थान वर्ग में
पंजाब एंड सिंध बैंक, सेक्टर - 6, भिलाई
को
सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार
सहर्ष प्रदान किया जाता है।

भिलाई
2018

(एम. रवि)
अध्यक्ष

गुरु नानक देव जी

रमिंदर कौर आनंद

श्री गुरुनानक देव जी सांझी वार्ता के प्रतीक तथा सिक्ख धर्म को मानने वाले पहले गुरू साहिब हैं। इनका जन्म आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व मेहता कालू जी के घर तलवंडी गांव में हुआ। उस समय भारत देश में इब्राहिम लोधी का राज था। गुरुनानक देव जी बचपन से ही असाधारण प्रकृति के बालक थे। उनके चेहरे पर सदा आलौकिक नूर झलकता था। उस समय वह अपने परमात्मा के ज्ञान भरे वक्तव्यों को बढ़े-बूढ़ों को बताकर हैरान कर दिया करते थे। उन्होनें न सिर्फ सोलह वर्ष की उम्र तक संस्कृत, फारसी, हिंदी, उर्दू आदि भाषाओं का असीम ज्ञान प्राप्त कर लिया बल्कि धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़कर समझ लिया था।

एक दिन उन्होंने गांव के पंडित को विनती की कि पंडित जी ऐसा जनेउ धारण करवाओ जिसमें नाम का धागा हो और सच की गांठ हो, क्योंकि फिर वह जनेउ न कभी अशुद्ध होगा और न ही कभी गुम होगा। उनके इस तरह के शब्दों को सुनकर पंडित जी हैरान रह गये। इस प्रकार उन्होंने लगभग सात-आठ वर्ष की आयु में जनेउ धारण करने की धार्मिक प्रथा का बहिष्कार किया।

अपनी शादी के बाद गुरुजी सुल्तानपुर लोदी में आकर बस गये । जहां उन्होंने अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए मुंशी की नौकरी कर ली । इस प्रकार वह दिन के समय काम करते थे और सुबह तथा रात के समय अपने मुसलमान साथी भाई मर्दाना जी के साथ मिलकर कीर्तन किया करते थे। उस समय एक दिन नदी में स्नान करते समय परमात्मा वाहे गुरू जी से उन्हें एक आलौकिक आदेश प्राप्त हुआ। उस दिन के बाद से वह मानव जाति की सेवा में जुट गए। उसके पश्चात तीस वर्ष में गुरु जी ने भाई मर्दाना जी से उधार लेकर चार प्रमुख धार्मिक यात्राएं कीं। उन्होंने 30 हजार किलोमीटर का सफर तय करते हुए भारत, तिब्बत, मक्का-मदीना तथा दक्षिण महाद्वीप के कई देशों का भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि देश के अंदर समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां प्रचलित थी जैसे जाति -प्रथा, अमीर- गरीब का भेदभाव, दास प्रथा आदि। गुरु जी ने उपदेश दिया कि "सभी मनुष्य एक समान है तथा एक ही पिता की संतान है, तो फिर भिन्न कैसे है? उन्होंने इन कुरीतियाँ को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर की प्रथा प्रारंभ की जिसमें सभी व्यक्ति एक पंक्ति में बैठ कर प्रसाद लेते थे, जहां किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था। यह रीति आज भी प्रचलित है।

पंद्रहवी सदी में औरतों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने और उन्हें समाज में आदर दिलाने के लिए आवाज बुलंद करने वाले वह पहले महापुरुष थे। उनके विचारानुसार वह स्त्री जो बालक के रूप में भावी राजा,पिता,पति,पुत्र को जन्म देती है, वह भला कैसे पुरुषों से दोयम दर्जे की हो सकती है? उन्होंने समाज में स्त्री-पुरुष की समानता पर बल दिया हैं और इस दिशा में कार्य किया।

गुरु नानक देव जी के देहावसान के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच बैर हो गया। हिंदू भाई उनके शरीर को अग्नि भेंट करना चाहते थे जबकि मुस्लिम भाई उन्हें दफनाना चाहते थे। लेकिन जब गुरु जी के शरीर से चादर हटायी गई तब यह देखा कि उसके नीचे खूबसूरत फूल रखे मिले। उसके बाद दोनो कौमों ने उन फूलों का अपने अनुसार अंतिम संस्कार किया।

गुरुनानक देव जी ने सिक्ख धर्म की नींव तीन धुरियों पर रखीः

1. नाम जपनारू- उस अकाल पूरख का सिमरन करना जिसने इस समाज की रचना की है। उन्होंने उपदेश दिया कि हर एक मनुष्य को परमात्मा के गुणों का गान हर समय करना चाहिए।
2. कीरत(कर्म) करना और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मेहनत कर जीविका कमाना और सुख-दुख को परमात्मा का अशीर्वाद समझकर मानने का उपदेश दिया।
3. मिल बांटकर खाना- अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज की भलाई के लिए निकालना चाहिए।

सिक्ख धर्म के पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब में नानक जी की देव वाणी जपुजी साहिब, आसादी वार, बारह माहा, सिद्ध गोष्ठ और दखणी ओंकार को संकलित किया। गुरु नानक देव जी को लोग अलग अलग नामों से पूजते हैं।। सतगुरु नानक, जगत गुरु नानक, बाबा नानक, नानक शाह फकीर, भगत नानक तथा नानक कलंदर।

भाई गुरुदास जी ने गुरु नानक जी की शख्सियत के बारे में कुछ इस प्रकार लिखा है-

सुनि पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे पठाया।।
चरण धोये रहरास कर चरणामृत सिखां पिलाया।।
पारब्रह्म पूरन ब्रह्म कलजुग अंदर इक दिखाया।।
चारे पैर धरम दे चार वर्ण एक वर्ण कराया।।
राणा रंक बराबरी पैरी पव्णा जगत वर्ताया।।
उल्टा खेल पिरम दा पैंरा उपर शीश निवाया।।
कलजुग बाबे तारिया सतिनाम पढ़ मंत्र सुनाया।।
कल ताराण गुरुनानक आया।।23।।वार1।।

एसटीसी, रोहिणी

खुद पर भरोसा रखें, ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहेंगे।

हिंदी पखवाडे में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं की झलकियाँ

समाचार वाचन प्रतियोगिता

गीत गायन प्रतियोगिता

प्रश्नमंच प्रतियोगिता

प्रधान कार्यालय स्तर पर आयोजित सिख धर्म के
के उपलक्ष्य में गुरूपर्व पर कीर्तन गायन तथा लंग
कुछ दृश्य

संस्थापक श्री गुरू नानक देव जी के जन्म दिवस
र का आयोजन किया गया। कीर्तन तथा लंगर के

आँचलिक कार्यालय, नारायणा, नई दिल्ली में गुरू नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर के अवसर पर लगर-प्रसाद वितरित किया गया।

बैठक

प्रधान कार्यालय स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन दिनांक 2/11/2017 को किया गया, जिसकी अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय श्री जतिन्दरबीर सिंह जी ने की। बैठक में बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री फरीद अहमद एवं श्री गोविंद एन. डोंग्रे तथा अन्य उच्चाधिकारी तथा विभागों के विभागाध्यक्षों ने सहभागिता की।

संगोष्ठी

आँचलिक कार्यालय चंडीगढ़ में दिनांक 22/12/2017 को ''ग्राहक सेवा व शिकायतों का निवारण'' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में विशेष रूप से श्री एस. एन. मिश्रा, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, को आमंत्रित किया गया। उन्होंने अपने वक्तव्य में बैंक से जुड़े ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने तथा उनकी शिकायतों के सही प्रकार से निवारण करने पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर आँचलिक प्रबंधक चंडीगढ़, श्री जी. एस. सरना भी उपस्थित थे।

रचनाकारों से निवेदन

बैंक के राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही पत्रिका ''राजभाषा अंकुर'' में प्रकाशन हेतु रचना भेजते समय कृपया रचना के अंत में अपना नाम, घर का पता, शाखा/कार्यालय का पूरा पता, पेन नंबर, मोबाइल नंबर तथा अपने बैंक का खाता संख्या (14 अंकों का) तथा आईएफसी कोड भी अवश्य लिखें।

मुख्य संपादक

यौन उत्पीड़न (सैक्सुअल हैरेसमेंट)

मनिंदर कौर

आए दिन महिलाओं पर होने वाले अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। चाहे टी.वी. हो या समाचार पत्र इनमें सबसे ज्यादा मामले दुष्कर्म के होते हैं और उसमें अधिकांश दुष्कर्मी पीड़िता के परिचित होते हैं। महिलाओं के लिए ज्यादा खतरा बाहर नही बल्कि उनके आस-पास ही है। पिछले साल के बलात्कार के मामलों के विश्लेषण से खुलासा हुआ है कि ज्यादातर आरोपी परिवार के सदस्य, दोस्त या पड़ोसी ही होते हैं। पिछले वर्ष बलात्कार के जितनें मामले दर्ज हुए उनका विश्लेषण करते हुए पता चला कि 96 प्रतिशत मामलों में जानकार ही आरोपी निकले। 38.99 प्रतिशत मामलों में आरोपी पीड़िता के दोस्त या फैमिली फ्रैन्ड थे जबकि 19.08 प्रतिशत मामलों में आरोपी पीड़िता के पडोसी थे।14.20 प्रतिशत मामलों में रिश्तेदार, 3.86 प्रतिशत मामलों में सहकर्मी या नियोक्ता तथा 20.50 प्रतिशत बाकी जानकार आरोपी थे। 3.37 प्रतिशत ऐसे मामले थे जिनमें किसी अनजान व्यक्ति ने बलात्कार को अंजाम दिया।

क्या सभ्य और आधुनिक समाज में भी महिलाएं इसी प्रकार उत्पीडित होती रहेंगी? महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि महिलाएं इस सदी में भी सुरक्षित नहीं हैं। लगभग 25 वर्ष पूर्व भंवरी देवी बलात्कार कांड को लोग भूले नहीं होंगे। राजस्थान में 25 साल पहले एक अनपढ़ और पिछड़ी जाति की महिला बलात्कार का शिकार हुई थी।

राजस्थान के जयपुर से जुड़े भटेरी गांव की दलित जाति (कुम्हार) की समाज सेविका भंवरी देवी जोकि राजस्थान सरकार की महिला विकास परियोजना में साथिन के तौर पर काम कर रही थी। उनका काम गांव के हर घर में जाकर सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाना था। वो महिलाओं को साफ-सफाई, परिवार नियोजन और लड़कियों को स्कूल भेजने के फायदों के बारे में बताती थी। इन सामाजिक बुराइयों में भ्रूण हत्या, दहेज और बाल विवाह जैसी कुरीतियां भी शामिल हैं।

भंवरी देवी प्रकरण - जिसके कारण बना यौन उत्पीड़न कानून

राजस्थान में बाल विवाह की पुरानी परंपरा रही है। हजारों बच्चे हर साल छोटी उम्र में ही ब्याह दिए जाते हैं। उनमें से कई की उम्र तो कुछ महीने की ही होती है। भंवरी देवी की अपनी शादी भी कम उम्र में हो गई थी। शादी के वक्त वो केवल पांच या छह साल की थीं और उनके पति आठ या नौ साल के। इस महिला ने बाल विवाह का तीक्ष्ण विरोध किया तथा बाल विवाह विरोधी अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सेदारी की। राजस्थान के प्रभावशाली परिवार के लोगों को यह सब स्वीकार्य नहीं था। सन् 1992 में एक सभ्रांत परिवार में हो रहे 1 साल की बच्ची के बाल विवाह को रोकने के लिए भंवरी ने हस्तक्षेप किया जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। भंवरी देवी को सबक सिखाने के लिए उसके साथ गांव के प्रभावशाली तबके के लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। इसका मुख्य उद्देश्य भंवरी देवी के साथ कुकर्म कर उसे बदनाम करना एवं उसकी हिम्मत को तोड़ना था ताकि वह बाल विवाह जैसे कार्यक्रमों में हस्तक्षेप न कर पाए। लेकिन भंवरी देवी इससे डरी नही बल्कि उसने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस थाने में की लेकिन इन लोगों के प्रभाव के कारण उस पर कोई अमल नहीं हुआ। इस प्रकार आरोपी कई वर्षों तक स्वतंत्र घूमते रहे और भंवरी देवी को इसी प्रकार बार-बार मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। देशभर के स्थानीय तथा नैशनल समाचार पत्रों में इस घटना को प्रमुख स्थान देकर प्रकाशित किया गया। एक समाचार पत्र ने तो ''क्रूर हादसा'' के नाम से एक संपादकीय लेख प्रकाशित कर दिया जिसमें इस घटना का पूरा ब्यौरा दिया गया। इस दौरान भंवरी देवी को मौद्रिक प्रलोभन देकर तथा डरा-धमका कर मामले को समाप्त करने की पेश-कश की गई लेकिन भॅंवरी देवी ने इसे स्वीकार नहीं किया। धीरे-धीरे भंवरी देवी के बलात्कार मामले ने भारत के महिला अधिकार आंदोलन का रूप ले लिया।

भंवरी देवी के मामले के तथ्यों के आधार पर एक गैर सरकारी संगठन विशाखा तथा अन्य महिला संगठनों ने मिलकर राजस्थान सरकार तथा भारत सरकार के विरूद्ध 1997 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिका में यह प्रस्तावित किया गया कि यौन उत्पीड़न को महिलाओं के समानता के मूल अधिकार का खण्डन समझा जाए तथा कार्यस्थलों/संस्थाओं को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी बनाया जाए। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की मूल परिभाषा प्रदान की तथा इसके आधार पर भारत सरकार को आदेश दिए कि महिलाओं के समानता के मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाएं। कोर्ट ने यौन उत्पीड़न की परिभाषा के लिए जो दिशा-निर्देश तय किए उन्हें आमतौर पर विशाखा दिशा-निर्देश(विशाखा गाईड लांइस) के नाम से जाना जाता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए वर्कप्लेस बिल 2012 लाया गया जिसमें महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए

गए जोकि कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

सन् 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम को पारित किया गया था । जिन संस्थाओं में दस से अधिक लोग काम करते हैं, उन पर यह अधिनियम लागू होता है। यह अधिनियम 9 दिसंबर 2013 से प्रभाव में आया

- यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को अवैध करार देता है।
- यह कानून यौन उत्पीड़न के विभिन्न प्रकारों को चिह्नित करता है और यह बताता है कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत किस प्रकार की जा सकती है ।
- यह कानून हर उस महिला के लिए बना है जिसका किसी भी कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ है।
- इस कानून में यह जरूरी नहीं है कि जिस कार्यस्थल पर महिला का उत्पीड़न हुआ है, वह वहां नौकरी करती हो।
- कार्यस्थल कोई भी हो सकता है चाहे वह निजी संस्थान हो या सरकारी (इसमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं भी आती हैं, जैसे-घरों में काम करने वाली महिलाएं)

यौन उत्पीड़न क्या है?

इस नियम के तहत निम्नलिखित व्यवहार यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आते है:

- **इच्छा के खिलाफ छूना या छूने की कोशिश करना।** उदाहरण-यदि एक तैराकी कोच किसी लड़की को तैराकी के दौरान तैराकी सिखाने के लिए स्पर्श करता है तो यह यौन उत्पीड़न नहीं कहलाएगा। पूल से बाहर आने के बाद यदि वह छात्रा को छूता है तथा लड़की अपने आप को असहज (uncomfortable) महसूस करती है, तो यह यौन उत्पीड़न है।
- **शारीरिक संबंध बनाने की मांग करना या उसकी उम्मीद रखना।** उदाहरण-यदि कोई विभाग का प्रमुख अपनी अधीनस्थ किसी महिला को प्रमोशन का प्रलोभन देकर या दबाव बनाकर शारीरिक रिश्ता बनाने को कहता है तो यह यौन उत्पीड़न है।
- **अश्लील बातें करना।** उदाहरण-यदि कोई अधिकारी अपने सहकर्मी महिला को यह कहता है कि वह भी कुशल अधिकारी बन सकती है क्योंकि वह शारीरिक रूप से आकर्षक है, तो यह यौन उत्पीड़न है।
- **अश्लील सामग्री दिखाना,** अश्लील तस्वीरें, फिल्में या अन्य सामग्री दिखाना। उदाहरण-यदि कोई कर्मचारी अपनी सहकर्मी महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ उसे अश्लील वीडियो भेजता है तो यह यौन उत्पीड़न है।
- **अन्य क्रियाएं,** कोई अन्य कार्य जो यौन उत्पीड़न प्रकृति के हों जो बातचीत द्वारा या लिख कर या छू कर किए गए हों।

शिकायत कब की जानी चाहिए? क्या शिकायत करने की कोई समय सीमा निर्धारित है?

शिकायत करते समय घटना को घटे तीन माह से अधिक समय नहीं बीता होना चाहिए, और यदि एक से अधिक घटनाएं हुई हैं तो अंतिम घटना की तारीख से तीन महीने तक का समय पीड़ित महिला के पास है।

यदि आंतरिक शिकायत समिति को यह लगता है कि पीड़िता इससे पहले शिकायत करने में असमर्थ थी तो यह सीमा बढाई जा सकती है, पर इसकी अवधि और तीन महीनों से ज्यादा नहीं बढाई जा सकती(कुल छः माह)।

शिकायत लिखित रूप में की जानी चाहिए। यदि किसी कारणवश पीड़िता लिखित रूप से शिकायत नहीं कर पाती है तो समिति के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे लिखित शिकायत देने में पीड़िता की मदद करें।

क्या पीड़ित की ओर से कोई और शिकायत कर सकता है?

यदि पीड़ित शारीरिक रूप से शिकायत करने में असमर्थ है या अक्षम है तो उसके रिश्तेदार या मित्र या ऐसा कोई भी व्यक्ति जो घटना के बारे में जानता है और जिसने पीड़ित की सहमति ली है या महिला आयोग के अधिकारी, शिकायत कर सकते हैं।

यदि पीड़िता शिकायत दर्ज करने की मानसिक स्थिति में नही है तो उसके रिश्तेदार या मित्र ऐसा कोई भी व्यक्ति जो घटना के बारे में जानता है, उसके मनोवैज्ञानिक, उसके संरक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी देखभाल कर रहे है शिकायत दर्ज कर सकता है।

यदि पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है, तो कोई भी व्यक्ति जिसे इस घटना के बारे में पता हो, पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारी की सहमति से शिकायत कर सकता है।

शिकायत दर्ज करने के बाद क्या होता है?

यदि पीड़ित महिला चाहती है तो मामले को समाधान प्रक्रिया द्वारा निपटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में दोनो पक्ष समझौते पर आने की कोशिश करते

हैं। परंतु ऐसे किसी भी समझौते में पैसों के भुगतान द्वारा समझौता नहीं किया जा सकता। यदि पीड़ित महिला समाधान नहीं चाहती है तो आंतरिक शिकायत समिति को 90 दिनों में जांच प्रक्रिया को पूरा करना होगा। जांच के खत्म होने पर यदि समिति आरोपी को यौन उत्पीड़न का दोषी पाती है तो समिति नियोक्ता को आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए सुझाव देगी। नियोक्ता अपने नियमों के अनुसार निम्न कार्रवाई कर सकते हैं:

- लिखित माफी
- चेतावनी
- पदोन्नति या वेतन वृद्धि रोकना
- परामर्श या सामुदायिक सेवा की व्यवस्था करना
- नौकरी से निकाल देना

झूठी शिकायत से यह कानून कैसे निपटता है?

यदि आंतरिक समिति को पता चलता है कि किसी महिला ने जान-बूझ कर झूठी शिकायत की है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी कार्रवाई के तहत महिला को चेतावनी दी जा सकती है, महिला से लिखित माफी मांगी जा सकती है या फिर महिला की पद्दोन्नति या वेतन वृद्धि रोकी जा सकती है या महिला को नौकरी से भी निकाला जा सकता है।

हालांकि, सिर्फ इसलिए कि पर्याप्त प्रमाण नही हैं, शिकायत को गलत नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए कुछ ठोस सबूत होना चाहिए (जैसे कि महिला ने किसी मित्र को भेजे ई-मेल में यह स्वीकार किया हो कि शिकायत झूठी है)।

पीड़िता यदि आंतरिक समिति के फैसले से असंतुष्ट है तो धारा 509 आईपीसी के तहस पुलिस में एफ.आई.आर दर्ज करवा सकती है।

कैसे निपटें यौन उत्पीड़न से ?

महिलाएं यौन उत्पीड़न से बचने के लिए कई तरीके अपनाती है। ये सामने वाले के बर्ताव और मामले की गंभीरता पर निर्भर करता है।

- पहले तो वो उत्पीड़न का विरोध करती है
- उससे दूरी बनाती है
- अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से बात करती है।
- सीधे-सीधे आरोपी को चुनौती देती है।
- अंत में उसकी शिकायत करती है।

नियोक्ता और उन के कर्त्तव्य

कानून के अनुसार संस्था या कंपनी के निम्न श्रेणी के प्रबंधक या अधिकारी को नियोक्ता माना जा सकता है। सरकारी कार्यालय में विभाग का प्रमुख नियोक्ता होता है, कभी-कभी सरकार किसी और व्यक्ति को भी नियोक्ता का दर्जा दे सकती है।

निजी कार्यालय में नियोक्ता कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर कार्यालय के प्रबंधन एवं देख-रेख की जिम्मेदारी होती है, इसमें नीतियां बनाने वाले बोर्ड और समिति भी शामिल है।

किसी अन्य कार्यालय में एक व्यक्ति जो अनुबंध/कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार नियोक्ता है को इस कानून में नियोक्ता माना जा सकता है।

घर में जिस व्यक्ति या घर ने किसी घरेलू कामगार को काम पर रखा है वह नियोक्ता है(काम की प्रकृति या कामगारों की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता)

नियोक्ता को अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए अपनी संस्था/कंपनी में 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन करना चाहिए। ऐसी समिति की अध्यक्षता संस्था तथा कंपनी की किसी वरिष्ठ महिला द्वारा की जानी चाहिए। इसके अलावा इस समिति से संबंधित जानकारी कार्यस्थल पर किसी ऐसी जगह लगायी जानी चाहिए जहां कर्मचारी उसे आसानी से देख सकें।

नियोक्ता को मुख्य रूप से सुनिश्चित करना है कि कार्यस्थल सभी महिलाओं के लिए सुरक्षित है। महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर आने व जाने वालों (जो कर्मचारी नही हैं) की उपस्थिति में असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नियोक्ता को अपनी "यौन उत्पीड़न संबंधी नीति" और जिस आदेश के तहत आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना हुई है, ऐसे आदेश की प्रति, ऐसे स्थान पर लगा देनी चाहिए जिससे सभी कर्मचारियों को इसके बारे में पता चल सके।

नियोक्ता को यौन उत्पीड़न के मुद्दों के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए नियमित कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए।

उन्हें अपने सेवा नियमों में यौन उत्पीड़न को भी शामिल करना चाहिए और कार्यस्थल में उससे निपटने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करनी चाहिए।

असल में महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न से कैसे निपटेगी ये बात बहुत कुछ कार्यालय के माहौल पर निर्भर करती है। यदि कोई महिला कर्मचारी कार्यालय में यौन उत्पीड़न का शिकार होती है तो वह इसकी शिकायत सीधे महिला और बाल विकास मंत्रालय से कर सकती है। इसके लिए महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सेक्सुअल हैरेसमेंट ई-पोर्टल SHe लाँच किया है। SHe बॉक्स महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर दिया गया है।

आज आवश्यकता है महिलाएं अपने अधिकारों को जाने, सही समय पर उनका उपयोग करें पर दुरूपयोग न करें। एक सभ्य समाज का निर्माण हो जहां स्त्री और पुरूष दोनों एक दूसरे का सम्मान करें।

ग्राहक के मुख से ......

मैं डॉ. तरनजीत कौर सेठी पंजाब एण्ड सिंध बैंक से बचपन से ही जुडी हूँ। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह बैंक केवल एक फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट नहीं है बल्कि यहाँ आना मुझे अपने घर आने जैसा ही लगता है। मेरी माँ श्रीमती गुरदीप कौर आनंद तथा उनकी भी माँ यानि मेरी नानी श्रीमती जसवंत कौर का खाता पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली में है।मेरी मम्मी तथा नानी का खाता तो यहाँ जब से है, जब इस शाखा का शुभारंभ हुआ। किंतु मेरा खाता सन् 1996 से इसी शाखा में है। मैं एक होम्योपैथी की डॉक्टर हूँ, मेरे पास सब तरह के मरीज आते हैं। वैसे तो मेरे लिए मेरे सभी मरीज एक जैसे हैं उनका अच्छे से अच्छा इलाज करना ही मेरा जीवन ध्येय है किंतु जब कोई यह कहता है कि मैं पंजाब एण्ड सिंध बैंक में कार्यरत हूँ तो मुझे वह बहुत अपना सा लगता है इसका मुख्य कारण यह है कि अपने व्यवसाय के कारण मेरे पास सदैव समय की कमी रहती है किंतु मुझे जब भी बैंक से कोई भी काम हुआ मुझे बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों ने पूरा सहयोग दिया। मेरा सेविंग खाता, मेरा लॉकर, मेरा सावधि जमा खाता, सभी शाखा राजेन्द्र प्लेस में है। पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अतिरिक्त मेरा किसी और बैंक में कोई खाता नहीं है। राजेन्द्र प्लेस शाखा में समय समय पर स्टाफ बदलता रहा है शाखा प्रभारी भी बदलते रहे हैं किंतु मुझे सभी से अपनापन व सहयोग मिला।

मैं डॉ. तरनजीत कौर सेठी पंजाब एण्ड सिंध बैंक से बचपन से ही जुड़ी हूँ। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह बैंक केवल एक फाइनेंशियल इंस्टिट्यूट नहीं है बल्कि यहाँ आना मुझे अपने घर आने जैसा ही लगता है। मेरी माँ श्रीमती गुरदीप कौर आनंद तथा उनकी भी माँ यानि मेरी नानी श्रीमती जसवंत कौर का खाता भी इसी बैंक में है।

बैंक का स्लोगन - जहाँ सेवा ही जीवन ध्येय है, पर शाखा का समस्त स्टाफ पूर्ण तन्मयता से कार्य कर रहा है।

लेकिन कुछ का नाम मैं यहाँ जरूर लेना चाहूंगी। श्री संजीव मेहता, सुश्री मंजीत कौर सिक्का, नीतू, इनकी विनम्रता, इनकी कार्य शैली सभी अत्यंत प्रभावशाली है बल्कि मैंने भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। वर्तमान में भी शाखा प्रभारी तथा सभी स्टाफ सदस्य बहुत ही विनम्रता से तथा कर्मठता से कार्य कर रहे हैं।

मेरे क्लिनिक में भी बैंक की छाप आपको मिल जाएगी। क्लिनिक में हमेशा से बैंक के कैलेंडर का स्थान नियत है।

मेरी वाहे गुरू जी से अरदास है कि बैंक अपनी उत्कृष्ट ग्राहक सेवा से सामान्य जन के जीवन स्तर को सुदृढ करे और स्वयं भी नित नयी ऊँचाइयों को प्राप्त करे।

Taranjit
डॉ. तरनजीत कौर सेठी

है भव्य भारत ही हमारी मातृ भूमि हरी भरी... हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा और लिपि है नागरी..

प्रसिद्ध कवि मैथिलीशरण गुप्त

अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन

दिनांक 16.11.2017 से 18.11.2017 तक निब्सकॉम, नोएडा में हमारे बैंक का 22वां अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन एवं समीक्षा बैठक संपन्न हुआ। तीन दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में, पूरे भारत के हमारे समस्त आंचलिक कार्यालयों से आए राजभाषा अधिकारियों के साथ राजभाषा कार्यान्वयन को लेकर गंभीर चर्चा हुई।

सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे बैंक के महाप्रबंधक(राजभाषा) श्री वीरेन्द्र गुप्ता ने की। सर्वप्रथम निब्सकॉम के निदेशक श्री निवासराव ने सभी सहभागियों को संबोधित किया। उन्होंने राजभाषा अधिनियमों एवं हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि आज पूरे विश्व में, किसी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या की दृष्टि से हिंदी चौथी सबसे बड़ी भाषा है। उन्होने इस बात पर जोर डाला कि भाषा बेचने वाले की नहीं, खरीदने वाले की होनी चाहिए। इसलिए ग्राहक से अगर उसकी मातृ-भाषा में बात की जाए तो ग्राहक से एक भावुकतापूर्ण रिश्ता बन जाता है जो बैंक के व्यवसाय के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध होता है।

हमारे महाप्रबंधक(राजभाषा), श्री वीरेंद्र गुप्ता जी ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि अगर 125–130 करोड़ लोग हिंदी बोलने लगे तो हिंदी, किसी भाषा को उपयोग में लाने वाले लोगों की संख्या की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी भाषा बन जाएगी। उन्होंने इस बात पर खेद भी व्यक्त किया कि हमें अपने ही देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार देने पड़ते हैं, हिंदी दिवस मनाने पड़ते हैं। महोदय ने बताया कि प्र.का. स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि जो पत्र उच्चाधिकारियों के समक्ष हिंदी में आएंगे, उस पर सभी उच्चाधिकारियों के हस्ताक्षर हिंदी में होंगे। इन्होंने विशेष तौर पर कहा कि मंगलौर में वित्तीय सेवाएं विभाग को दिए गए आश्वासन के अनुसार सभी को सप्ताह में एक दिन पूरा कार्य हिंदी में करना है। महाप्रबंधक महोदय ने 'क' क्षेत्र का कीर्ति पुरस्कार (प्रथम) प्राप्त करने के लिए समस्त राजभाषा अधिकारियों को बधाई दी और भविष्य में भी इस प्रदर्शन को बरकरार रखने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया।

श्री पवन कुमार जैन(वरिष्ठ प्रबंधक) ने इन वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया।

राजभाषा अधिकारियों के द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर आलेख प्रस्तुत किए गए।

श्री राजिंदर सिंह बेवली(सहायक महाप्रबंधक) ने ''मानव संसाधन और बैंकिंग उद्योग'' संबंधी विषय पर सभी उपस्थित राजभाषा अधिकारियों को संबोधित किया।

श्री राजीव कुमार राय(वरिष्ठ प्रबंधक) ने ''बैंकिंग अनुवादः समस्या और समाधान'' विषय पर अपने विचार रखें। अनुवाद करने में आने वाली समस्याओं, बैंकिंग उद्योग में इसकी भूमिका आदि पर इन्होंने प्रकाश डाला। श्री राजिंदर सिंह बेवली(सहायक महाप्रबंधक) ने ''मानव संसाधन और बैंकिंग उद्योग'' संबंधी विषय पर सभी उपस्थित राजभाषा अधिकारियों को संबोधित किया।

श्री पवन कुमार जैन(वरिष्ठ प्रबंधक)ने ''वर्तमान में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर चुनौतियां और समाधान'' विषय पर अपना आलेख प्रस्तुत किया। इन्होंने मानक हिंदी वर्तनी की जरूरत, राजभाषा की यांत्रिक चुनौतियां एवं राजभाषा कार्यान्वयन की वास्तविक कठिनाइयों पर प्रकाश डाला। श्री देवेन्द्र कुमार(प्रबंधक) ने ''वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां और राजभाषा अधिकारी की भूमिका'' विषय पर आलेख की प्रस्तुति की। श्रीमती हरप्रीत कौर(प्रबंधक) ने ''ग्राहक सेवा को उत्कृष्ट बनाने में क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान'' विषय पर अपने आलेख की प्रस्तुति दी। इस सत्र के अंत में राजभाषा कार्यान्वयन को लेकर परिचर्चा भी की गई।

''मानक हिंदी वर्तनी व अंक वर्तनी'' पर चर्चा हुई। इस चर्चा में श्री पीयूष(राजभाषा अधिकारी, होशियारपुर), श्री वैभव मिश्र (राजभाषा अधिकारी, बरेली) ने अपने विचार रखें। श्री सोनी कुमार(प्रबंधक, करनाल) ने ''वित्त मंत्रालय व गृह मंत्रालय संबंधी आदेशों के अनुपालन'' विषय पर अपने विचार रखें। इसके पश्चात श्री निखिल शर्मा(प्रबंधक, दिल्ली-I) ने ''आंतरिक कामकाज में हिंदीः शाखाओं के राजभाषा निरीक्षण! समस्या व समाधान'' विषय पर प्रकाश डाला। श्री रूप कुमार(राजभाषा अधिकारी,प्र.का.) ने राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में कप्यूटर तकनीकी की जरूरत पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी उपस्थित राजभाषा अधिकारियों को गूगल वायस टाइपिंग का प्रशिक्षण भी दिया।

अंत में श्री राजिंदर सिंह बेवली ने सभी उपस्थित राजभाषा अधिकारियों को तिमाही प्रगति रिपोर्ट के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देशों को सविस्तार स्पष्ट किया।

अंत में संसदीय समिति के द्वारा पूछे जाने वाली प्रश्नावलियों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

इसके बाद निब्सकॉम के निदेशक श्री निवासराव ने इस तीन दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा अधिकारी सम्मेलन व समीक्षा बैठक को संबोधित किया। निदेशक महोदय ने आशा व्यक्त की कि इन तीन दिनों के बाद जब सभी राजभाषा अधिकारी अपने-अपने कार्यालय पर वापस जाएंगे तो उनकी कार्य-क्षमता में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिलेगा।

काव्य

30 जून 1855 को संथाल विद्रोह के स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीदों को समर्पित

यशोदा मुर्मु

माँ माँ माँ
सुनकर यह समाचार
आँखो में आँसू ना आने देना
जन्म दिया है तुमने मुझे
भारत माँ की रक्षा के लिए।--२

माँ
माँगी थी आपसे शक्ति
माँगा था आशीर्वाद?
देश सेवा के लिए
माँगी थी अनुमति।--२

माँ
रेगिस्तान की गरमी हो,
चाहे लद्दाख की ठंडक
आकाश में गरजते मेघ हों
कड़कती बिजली हो चाहे
आँधी हो या तूफान हो
अडिग खड़े हैं हम
हिमालय की तरह
भारत माँ की रक्षा के लिए।--२

माँ
भारत माँ पर किसकी नजर लगी
पहाड़ जंगल में माओवादी
देश में आए आतंकवादी
बुरी नजर है सीमा पार से
जिन्होंने देखी नहीं शक्ति हिन्दुस्तान की।-२

माँ
शीश ना झुकाऐगे
पग ना डगमगाऐगे
प्राण जाय पर वचन ना जाय
देश की रक्षा के लिए
ली है हमने शपथ। --२

माँ
माँ का ऋण तो कोई नहीं चुका सकता
यह मेरे साथ
देशवासियों को भी याद रहेगा
तुम्हारे सपूत ने किए प्राण न्यौछावर
देश की रक्षा के लिए ।--२

माँ
तिरंगा से लिपटा कफन
जब आएगा हमारे आँगन में
आँसू ना बहाना
मैं वापस आऊँगा जरूर
पूरा करने तुम्हारा अधूरा सपना।--२

माँ
सुनकर यह समाचार
आँखों में आँसू ना आने देना
मुझे इस दुनिया में लाई हो
देश की रक्षा के लिए
पूरा देश करे तुझे सलाम, माँ
जय हिन्द, जय भारत।

****

आँचलिक कार्यालय-2, नई दिल्ली

मौत की हड़ताल

पंकज चंदनानी

ना करो फिक्र बूढ़ी माँ की
मौत आज हड़ताल पर है,
ना करो फिक्र आज समाचार की
मौत आज हड़ताल पर है,
फिक्र ना आज किसी फसाद की
मौत आज हड़ताल पर है,
ना फिक्र आज मसान की
मौत आज हड़ताल पर है,
ना फिक्र गर्म कपड़ो के ढाल की
मौत आज हड़ताल पर है,
फिक्र ना आज हथियारो की धार की
मौत आज हड़ताल पर है,
मगर जरा करना होगा इंतजाम रोटी का
कमबख्त भूख आज भी अपना काम कर रही है।

शाखा : सरसवाँ, भोपाल

मंजूषा

मंजिल तो मिल ही जाएगी

सोम श्रीवास्तव

मंजिल तो मिल ही जाएगी,
बस थोड़ा सा तड़पाएगी।
तू न रूकना तू न झुकना,
जीवन में कभी हारना तो कभी जीतना,
ये किस्मत का तो खेल है,
किस्मत तो तुझे आजमाएगी।।
मंजिल तो मिल ही जाएगी
बस थोड़ा सा तड़पाएगी।
तुझे अब न रोना है,
समय एक पल भी नहीं खोना है,
जो हुआ उसे भूल जा,
लक्ष्य पे नजरे टिका,
ये जो लक्ष्य है, तू उसे पाएगी।।
मंजिल तो मिल ही जाएगी
बस थोड़ा सा तड़पाएगी।
पीछे मुड़कर न देख कभी,
बाधाओं को पार कर जा सभी,
हो दर्द तो मत कराह कभी,
झेल जा तू दर्द सभी,
ये तो चोट है, जो तुझे सताएगी।।
मंजिल तो मिल ही जाएगी
बस थोड़ा सा तड़पाएगी।
हर मोह का तू त्याग कर
हमेशा के लिए बन जा निडर
सोचता है जो करके बता
दुनिया को जीत के दिखा
ये तो दुनिया हैं, तुझे समझाएगी।।
मंजिल तो मिल ही जाएगी
बस थोड़ा सा तड़पाएगी।
रास्ते आसान होते जाएंगे
जब तू हिम्मत से बढ़ता जायेगा
जो भी मुश्किल आएंगी
तू जीतता चला जाएगा,
ये जो जीत है, तुझे हँसाएगी।
मंजिल तो मिल ही जाएगी
बस थोड़ा सा तड़पाएगी।
बीते लम्हों का न कर अफसोस तू
भर अपने में जोश तू
कभी हार के रूकना नहीं,
मुश्किलों में झुकना नहीं
ये जो मुश्किले हैं, बस थोड़ा रूलाएंगी
मंजिल तो मिल ही जाएगी
बस थोड़ा सा तड़पाएगी।

प्रधान कार्यालय
ऋण निगरानी विभांग

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को समर्पित

राधिका कुमारी

नम होगी आज आपकी निगाहें
पर चेहरे पर सुकून की चादर भी होगी।
सेवानिवृत्ति का पत्र हाथों मे लिए
नियुक्ति का वो पत्र याद आ ही जाएगा।
सैलरी ।बबवनदज का पेंशन एकाउट मे बदलना
सर्विस मैन से एक्स सर्विस मैन बनना
बिना इजाजत वक्त का पन्ना पलट ही देगा।
रोज सुबह उठना और ऑफिस
जाने की तैयारी करना,
प्रेस किये कपड़ों की फरमाइश करना
हर सुबह आपको जगा ही देगा
पुरानी दिनचर्या भूलने नही देगा।
हर शाम लेट आना और
बहाने बनाना,
मैडम के बेबस सवालों
पर चिल्लाते रहना
हर शाम आप दोनों में बहस
करवा ही देना।
डोर बेल की घंटी सुन गुड़िया
का पढ़ाई शुरू करना,
ऑफिस के बैग में चॉकलेट ढूँढ़ना
हर शाम गुड़िया को डोर बेल का
इंजतार करवा ही देगा।

शाखा : मुखर्जी नगर
नई दिल्ली

साहब का कुत्ता

पवन कुमार जैन

प्रोमोशन के बाद नई जगह पर पोस्टिंग हुई थी.... वक्त की पाबंदी किसी पैबंद की तरह जेहन से चिपकी हुई थी। इस नाते समय से आफिस पहुँच गया। ऑफिस के बाहर काफी मजमा लगा हुआ था.... मेन गेट तक लोग रास्ता रोककर खड़े हुए थे। अमूमन इस तरह की भीड़ देखकर अंदाजा लग जाता है कि मैनेजमेंट के ख़िलाफ कोई न कोई डिमाँस्ट्रेशन लगाया गया है..लेकिन इस भीड़ में न तो कोई मुट्ठियाँ बाँधकर जिंदाबाद.. मुर्दाबाद कर रहा था और न ही कोई कमर पर हाथ रखकर नथुने फुला.. पिचका रहा था... अलबत्ता सभी के चेहरे पर सपाट सी ख़ामोशी लिपटी हुई थी। इतने लोग एक साथ खड़े हों और वे राष्ट्रीय - अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अपने ख़यालात का मुजाहरा न करें, देखकर कुछ अजीब सा लग रहा था। वातावरण में छाई नीरवता किसी घटित हो चुके अनिष्ट की ओर ध्यान आकर्षित कर रही थी। मैंने थोड़ा साहस करते हुए एक पतले-दुबले से शख़्स से पहले तो आँखों ही आँखों में पूछना चाहा लेकिन जब उन्होंने मेरा इशारा नहीं समझा तो मैंने उनके कंधे पर थपकी देते हुए जबान में चाशनी घोलकर पूछा... भाईसाहब कोई ख़ास बात है क्या...? हालांकि शरीर दुबला-पतला था.. लेकिन जालिम ने आँखों को पूरी तरह से फाड़ते हुए मुझे घूरा और बेहद हिकारत भरे लहजे में फरमाया... आपको पता नहीं.. आज बड़े साहब के अजीज कुत्ते मियाँ मि. डाल्टन इंतकाल फरमा गए हैं और हम सब लोग उसकी गमी में खड़े हैं... इससे पहले कि मैं कुछ और जानकारी हासिल करता उसने बोफोर्स तोप के गोले की तरह मुझसे सवाल दाग दिया.... आपकी तारीफ क्या है? इकबारगी सवाल से मैं अचकचा सा गया... लेकिन फिर संयत होकर बोला... वह क्या है कि मेरा ट्रांसफर इसी ब्राँच में हुआ है और मुझे आज ज्वाइन करना है। उसने ऊपर से नीचे तक मेरे पूरे हुलिए को अपनी आँखों से तौला और फिर आदेशात्मक स्वर में कहा... ठीक है तुम भी इधर कोने में खड़े हो जाओ ठीक 11 बजे जनाजे में शरीक होना है। वहीं पर ज्वाईन कर लेना। चूँकि यह मेरा पहला ट्राँसफर था इसलिए मेरी समझ में नहीं आया कि जनाजे के दौरान डयूटी कैसे ज्वाइन की जाती है।

मैंने अपने आपको भीड़ में शामिल कर लिया... मुझे मातमी सूरत बनाए रखने के लिए अन्यथा प्रयास नहीं करना पड़ रहा था क्योंकि सफर की थकान के कारण मेरी सूरत वैसे भी मातमी लग रही थी। अचानक भीड़ को चीरते हुए एक स्मार्ट सा आदमी आगे आया और उसने आदेश दिया..सब लोग साहेब के घर पहुँचें... जनाजा उठने का टाइम हो गया है। सबने बिना कोई सवाल - जवाब किए हुए उसके आदेश का तुरंत पालन किया और अपने - अपने वाहन उठा लिए। मुझे लगा कि जरूर यह बड़े साहब का कोई ख़ास आदमी है। मैं भी लपक कर उस पतले-दुबले व्यक्ति के स्कूटर पर बिना पूछे ही सवार हो गया।

बड़े साहेब के घर के बाहर गाड़ियों का हुजूम लगा हुआ था। हर कोई एक दूसरे से इस घटना के बारे में तफसील से जानकारी ले-दे रहा था। मैं उचक - उचक कर बड़े साहेब को पहचानने की कोशिश में लगा हुआ था ताकि उन्हें ज्वाईनिंग रिपोर्ट देने के साथ - साथ मातमपोशी भी कर सकूँ... मगर प्रोफेशनल मातमपोशों के आगे उनकी निगाह मुझ पर ठहर तक नहीं रही थी। मैं भी थक-हार कर एक कोने में बैठ गया और सारे नजारे का मुजाहरा करने लगा।

एक तरफ जनाजे के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित कर ली गई थी... बाँस के डंडों को काफी मजबूती के साथ बाँधा जा रहा था ताकि कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा बीच रास्ते में ही टूट जाए और लेने के देने पड़ जाएं। हर आने - जाने वाला मि. डाल्टन के साथ अपने अनुभवों को आगे से आगे बता - बताकर साहेब से अपनी निकटता सिद्ध करना चाह रहा था। एक मोटे और थुलथुले से साहेब ने बताया कि एक दिन शाम को जब वह साहेब से मिलने के लिए आए तो मेमसाब ने उनसे दरख़ास्त की कि जब तक साहेब लौटते हैं आप जरा डाल्टन को बाहर तक टहला लाईए ... मैं बड़ी खुशी - खुशी उसकी जंजीर पकड़ कर टहलाने निकल गया। आधा पौने घंटे के बाद जब मैं वापिस आया तो बड़े साहेब भी मेन गेट से दाख़िल हो रहे थे... उन्होंने कुत्ते की चेन हमारे हाँथों में देखी तो सवाल ठोक दिया

किसी लालच के बिना मदद करने से आत्म संतोष मिलता है।

क्यों भाई आप इनको टहलाने निकले हैं क्या... मैंने जवाब दिया.. यस सर, मेमसाब ने हुक्म दिया था कि थोड़ी देर टहला लाऊँ इसलिए बाहर ले गया था। बड़े साहेब ने कुत्ते को पुचकारते हुए उसके थूथनों को बड़े प्यार से किस किया और कहा..... अरे नहीं मेहता.... मैं तो डाल्टन से पूछ रहा था कि वह आपको टहलाने निकला है क्या?... यह कहकर मेहता जोर-जोर से हँस पड़ा और कहने लगा कि काफी जॉली नेचर के हैं... मेरा मन किया कि मैं भी बड़े साहेब की तरह पूछ लूँ कि किसका जॉली नेचर है. साहेब का या कुत्ते का... मगर बात जबान पर ही आकर रुक गई कि कहीं बुरा न मान जाएँ।

भीड़ बढ़ने के कारण कुछ लोग सरक कर मेरे पास ही आकर खड़े हो गए। मैंने वैसे ही पूछा कि भाई साहेब मि. डाल्टन के इंतेकाल फरमाने का क्या कारण है? कुछ उल्टा - सीधा खा लिया था क्या, तो उन्होंने मुझसे ही सवाल कर दिया... मियाँ नए हो क्या... जानते नहीं कि मि. डाल्टन का डाक्टर द्वारा पूरा एप्रूव्ड डाईट चार्ट था.... वह ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक क्या खाएँगे और क्या नहीं खाएँगे। हर मौसम के लिए उनके पास कितने तो सूट थे। मेरी समझ में नहीं आया कि यह कुत्ता सूट कैसे पहनता होगा। मेरी नजर के सामने टाई-सूट पहने कुत्ते की शक्ल घूमने लगी। कुछ समझ में नहीं आया इसलिए मैंने अपना ध्यान उस ओर से हटा लिया और दूसरी ओर देखने लगा।

आने - जाने वालों का ताँता लगा हुआ था। मैं कोने में पड़े एक छोटे से स्टूल पर अपने को किसी तरह से टिकाए हुए था। तभी रोने की आवाज के साथ साहेब ने अपने हाथों से कुत्ते को अंतिम शैय्या पर लिटाया... झटपट लोगों ने उसे बाँधना शुरू कर दिया। बीच-बीच में कुछ जनानी व कुछ मर्दानी फफकती सी आवाज सुनाई पड़ जाती थी। जनाजा जाने को तैयार हो गया था तभी किसी साहेब ने मेरे पास आकर स्टूल से उठने के लिए कहा... मैंने अपने थक चुके शरीर को बड़ी मेहनत से उठाया और बेमन से स्टूल खाली कर दिया। मैंने पूछा भाई साहेब इस स्टूल का क्या करेंगे तो उसने बताया कि तुम नहीं जानते मि. डाल्टन इसी स्टूल पर हाजत फरमाते थे। यह कहकर वह स्टूल लेकर आगे बढ़ गए और मुझे अपने आपमें से कुत्ते की बदबू आने लगी।

मन काफी खराब हो गया था और विचार दार्शनिक हो - होकर बाहर आना चाह रहे थे। जिस देश में लोग भूखे मर रहे हों और मरने के बाद एक गज कफन भी मयस्सर न हो.. वहाँ पर इस चतुष्पादी आत्मा कितने प्रेम और पूर्ण अनुष्ठानों के साथ परमात्मा से मिलने जा रही थी। मुझे अपना नारकीय जीवन एक बोझ सा लगने लगा था और मन का एक कोना अगले जन्म में इसी प्रकार की चतुष्पादी आत्मा के रूप में अवतरित होने की प्रार्थना कर रहा था। जनाजा उठ चुका था.. लोगों के शोर ने मेरी प्रार्थना में बीच में ही विघ्न डाल दिया। मष्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया था.. मेरे पैर यंत्रवत शवयात्रा की ओर बढ़ते चले गए।

आँचलिक कार्यालय, मुम्बई

जीत

शिवशंकर जोशी

जीतना अगर जहान है।
    तो अपने आप को तू जीत।।
राज खुदा पर करना है।
    तो अपना विश्वास तू जीत।।
हार की कभी सोच।
    मन में तू ना लाना।।
हो जाना लक्ष्य के लिए।
    ए दोस्त तू दीवाना।।
ना मिलेगी मंजिल।
    देखने से सिर्फ सपने।।
संसार को चलाने की।
    ठान ले तू मन में अपने।।
इस भूले भटके जगत का।
    सारथी तू बन।।
जीवन की महाभारत का।
    महारथी तू बन।।
जीत ले तू यार जग को।
    तुझ में जुनून है।।
अब अंत तेरी इच्छा का ही।
    तेरा सुकून है।।

शाखा बदाल, पंजाब

"हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी।"

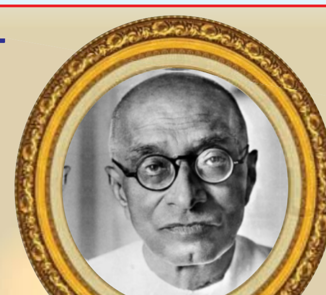

सी.राजागोपालाचारी (स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल)

महान संकल्प ही महान फल का जनक होता है।

खुदरा ऋण सौगात

रविन्द्र परपार

पंजाब एण्ड सिंध बैंक ग्राहकों को उन्नत सेवा प्रदान करने के लक्ष्य को सुनिश्चित करते हुए, विभिन्न खुदरा ऋण उत्पादों को आकर्षक गुणों के साथ प्रस्तुत करने के लिए हमने हाल ही में तीन विशेष प्रकार के ऋण उत्पाद जिन्हे मॉर्टगेज लोन एस.एम.ई. लिक्विड द्वारा व व्यापार लोन के नाम से आरंभ किया है, ऋण उत्पादों को विशेषकर सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई व छोटे खुदरा व्यापारियों। व्यक्तियों की विभिन्न व्यवसायिक व अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रारूपित किया गया है, तथा उद्देश्य यह रखा गया है कि हर क्षेत्र के ग्राहकों को वित्तपोषित किया जा सके। योजनाओं का प्रारूपण इतनी सरलता से किया गया है कि शाखाएँ एक बड़े वर्ग के ग्राहकों को समाहित कर, बैंकिंग व्यवसाय में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित लाभ गृहिता को प्राप्त कर सके। बैंकिंग व्यवसाय के क्रम में इन तीनों योजनाओं का प्रारूपण वृद्धि स्तर पर शाखाओं के खुदरा ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि कर प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति में भी सहायक की भूमिका निभाने का कार्य करता है, मैदानी स्तर पर कर्मचारी, अधिकारी इन योजनाओं के आकर्षक गुणों को प्रदर्शित कर लक्षित ग्राहकों से अच्छे गुणवत्ता वाले व्यवसाय लाने के मार्ग पर अग्रेषित होकर बैंक की उत्तरोत्तर वृद्धि में भागीदार बन सकते है, बैंक की प्रीमियम योजनाओं का विवरण कैसे नीचे संक्षित रूप से प्रदान किया जा रहा है।

(अ) पी. एस.बी. मोर्टगेज लोन :- यह एक बहु-उद्देशिय शाखा सुविधा है, जो कि आवश्यकता आधारित वैध व्ययों जैसे कि विवाह/मेडिकल/शिक्षा के खर्च/सुधार नवीनीकरण, व्यवसाय में निवेश, व्यवसाय के लिए ऋण आदि का समावेश करती है। इसमें सट्टा उद्देश्य या इससे जुड़े उद्देश्यों को शामिल नहीं किया जाता है। इस योजना के माध्यम से ऋण प्राप्त करने का अवसर करदाता/व्यक्ति/फर्म/कंपनी आदि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो कि बैंक द्वारा निर्धारित अनिवार्यताओं को पूर्ण करते है। इस योजना में ग्राहक ऋण सुविधा आवश्यकता या व्यवसाय की प्रकृति अनुसार, ओवर ड्राफ्ट व अवधि ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत व लघु व्यवसायिओं को ध्यान में रखते हुए ऋण की सीमा का न्यूनतम स्तर रू. 5 लाख रखा गया है, तथा योजना में अधिकतम रू. 5 करोड़ तक के ऋण प्रदान किये जा सकते है। इस योजना में बैंक नियमानुसार स्वीकार्य संपत्ति पर 40% से 50% मार्जिन पर ऋण स्वीकृत किये जा सकते है। सम्पूर्ण प्रतिभूति आवश्यकता में संपत्ति के साथ निर्धारित मार्जिन पर बैंक जमा, बीमा पॉलिसी, राष्ट्रीय बचत-पत्र अनुपुरक प्रतिभूति के तौर पर लिए जा सकते हैं।

(ब) पी.एस.बी.एस.एम. ई लिक्विड :- सुक्ष्म, लघु व मध्यम इकाइयों की त्वरीत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। सुक्ष्म लघु व मध्यम ईकाइयों को समय पर परेशानी से मुक्त और पर्याप्त ऋण वितरण प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रकार की ऋण योजना का क्रियान्वयन किया गया है, जिसके माध्यम से ये इकाइयाँ, सरलता का मिलान करना अनुसंधान एवं विकास के खर्चो को पूरा करना, उत्पादों का विकास, विपणन व ब्रांडिंग के व्ययों की पूर्ति करना, अप्रत्याशित थोक आदेशो को कार्यान्वित करना, मौसमी उपलब्ध कच्चे माल आदि का संग्रहण करना, के उद्देश्यो को प्राप्त किया जा सकता है। लघु, सुक्ष्म व मध्यम इकाइयो के समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए, इस प्रकार के विशिष्ट ऋण उत्पादों को लाया गया है। इसका लाभ, इकाई चाहे निर्माण कार्य में लिप्त हो, या सेवा प्रदाता हो दोनों के लिए उपलब्ध है। इसका विस्तार अच्छी ट्रेक रिकार्ड वाली इकाई से लगातार नई इकाई जिसकी संतोषजनक डयुडिलीजेंस रिपोर्ट को शमिल किया गया है। चाहे वह व्यक्तिगत स्वामित्त्व, साझीदारी फर्म, निजी सार्वजनिक कंपनी या सहकारी सोसायटी हो, साख का प्रकार ओवरड्रफ्ट की मांग पर देय या सावधि ऋण जो कि 7 वर्ष की अवधि तक हो के रूप में सुक्षम, लघु व मध्यम इकाई की आवश्यकता अनुसार चयन हो सकता है, जो कि न्यूनतम 10 लाख रू से अधिकतम 5 करोड़ रू. तक ही सकता है। लधु के मध्यम इकाई को अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिभूतियो के रूप में प्रदान की जाने वाली संपत्ति के मूल्य के 75% तक (परंतु यह भारतीय रिजर्व बैंक/सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत से कम ना हो) के बराबर राशि तक प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रतिभूति सुरक्षा के रूप में बैंक जमा, जीवन बीमा पॉलिसी व राष्ट्रीय बचत पत्र भी लिए जा सकते है, जिन पर मार्जिन क्रमशः 10% से 25% है।

(स) पी.एस.बी. व्यापार लोन :- व्यापार लोन किसी व्यवसायिक संस्था के व्यवसायिक आवश्यकताओं कार्यशील पूंजी हेतु दुकान का निर्माण या व्यवसायिक गतिविधि हेतु पूर्व में निर्माण दुकान क्रय करने के उद्देश्यों हेतु प्रदान किये जा सकते है। इस साख सुविधा का लाभ खुदरा थोक ट्रेर्डस ठेकेदार प्रोफेशनल, सुक्ष्म लघु व माध्यम इकाई प्रोपराइटर साझेदारी फर्म कंपनी आदि व्यवसाय जोकि बैंक की अनिवार्यताओं को पूर्ण करते है, द्वारा प्राप्त किया जा सकता है यह सुविधा ओवरड्राफ्ट/कार्यशील पूंजी अवधि ऋण के रूप में दी जा सकती है व सभी व्यवयायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 5 लाख रू. से लेकर 10 करोड़ रू तक के ऋण आवश्यकताओ को शामिल किया जा सकता है, इस योजना में ग्राहक की सुविधा प्रतिभूति में विभिन्न प्रकार के मदो जैसे स्थायी संपत्ति, व्यवसायिक संपत्ति बैंक जमा, जीवन बीमा पॉलिसी, राष्ट्रीय बचत पत्र आदि को शमिल किया गया है। साथ ही नजदीकी रिश्तेदार द्वारा धारित संपत्ति भी, संपत्ति स्वामी की गारंटी की शर्त के साथ प्रस्तुत की जा सकती है।

शाखा : रतलाम
मध्य प्रदेश

कुछ तथ्य जो आपको नए लगेंगे

रिंकी कुमारी

- मोनालिसा जिन्हें मुस्कान के लिए पूरी दुनिया जानती है के चित्र में उनकी भौंहे प्रतीत नही होती हैं।

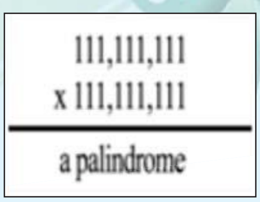

- 111,111,111*111,111,111=12345678987654321 यह एक पलिन्ड्रोमे नंबर है जो आगे और पीछे से एक समान है।

- अंग्रेजी भाषा में सिर्फ दो शब्द ऐसे है जिनमे सभी स्वरों का उपयोग हुआ हैं।
  1. ABSTEMIOUS ***2. FACETIOUS***

- ताश के पत्तों में सभी किंग इतिहास के यूनानी राजाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- हमारी आकाशगंगा की महक 'रम' जैसी है और स्वाद 'रसभरी' जैसा है।

- भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक है।
- दुनिया के सभी समुद्रों में पाए जाने वाला सोना कुल २० मिलियन टन के बराबर है।
- ज्यादातर दिल के दौरे सोमवार को आते है।
- केले एक आकार में झुके हुए होते है क्योंकि वे सूर्य की दिशा में उपजते है।

- चीन में फेसबुक, स्काईप, ट्विटर और अधिकतर इलाकों में गूगल भी बेन है।

- ट्विटर की चिडिया को लैरी कहते है।

- जैली फिश में 95% पानी होता है।

प्रधान कार्यालय
के वाई सी विभाग

आस्था की नगरी

हरप्रीत कौर

अमृतसर एक धार्मिक एवं ऐतिहासिक शहर है। इस शहर को गुरुग्रंथ साहिब में 'सिफली दा घर' कहा गया है, जिसका अर्थ है ऐसा पवित्र स्थान जहां परमेश्वर की कृपा बरसती है। संसार भर के सिक्खों के लिए पवित्रतम धर्मस्थल स्वर्णमंदिर की इस नगरी का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। यह शहर आज 425 वर्ष पुराना है। इस लंबे इतिहास में इस शहर पर आक्रांताओं की कुदृष्टि भी कई बार पड़ी, लेकिन फिर भी इसका गौरव कभी कम नहीं हुआ। इसीलिए आज आस्था की नगरी अमृतसर का धर्मवैभव देश-विदेश से हजारों अनुयायियों को रोज अपनी ओर आकर्षित करता है।

इतिहास में दर्ज स्वाधीनता आंदोलन की कई बड़ी घटनाओं से भी अमृतसर का वास्ता रहा है। अंग्रेजों के अत्याचार का दंश इस शहर ने कई बार झेला, वहीं आजादी के बाद विभाजन के परिणामस्वरूप हुई त्रासदी का भी यह मूक गवाह रहा। पाकिस्तानी सरहद के निकट स्थित होने के कारण अमृतसर पर सीमा पार होने वाली हलचल का प्रभाव भी पड़ता है। दोनों देशों के बीच अमन-चैन कायम करने वाली सदा-ए-सरहद बस यात्रा इसी शहर से होकर सीमा पार करती है। दिल्ली की तरह अमृतसर भी कभी मजबूत चारदीवारी से घिरा होता था, जिसके 18 द्वार थे। आज यह पुराने व नये दो भागों में फैल चुका है। सिक्ख आस्था का भव्य केंद्र होने के साथ-साथ अमृतसर आज एक व्यवसायिक केंद्र तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है।

गुरुओं ने बसाया शहर

अमृतसर के अस्तित्व में आने का इतिहास बहुत रोचक है। कहते हैं एक बार गुरु नानक देव जी भाई मरदाना के साथ किसी यात्रा पर जा रहे थे। यात्रा के दौरान वह विश्राम के लिए एक रमणीक स्थान पर रुके। उस स्थान को देख गुरु नानक देव जी ने भाई मरदाना से कहा था, 'एक दिन इस स्थान पर एक सरोवर होगा, जिसका जल अमृत के समान होगा। सरोवर के आसपास एक पवित्र शहर बसेगा।'

सन् 1570 में जब तीसरे गुरु अमरदास जी उस स्थान पर आए तो उन्होंने वहां एक नगर बसाने की कामना प्रकट की। संगत से मशवरा करने के बाद आसपास के गांवों के मुखिया वहां बुलाए गए। उन्होंने नया नगर बसाने के लिए अपने गांवों की थोड़ी-थोड़ी भूमि गुरुजी को सहर्ष प्रदान कर दी। लेकिन गुरुजी ने अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार भूमि का मुआवजा देने के बाद ही उसे स्वीकार किया। इस विषय में एक कहानी यह भी है कि नया शहर बसाने के लिए मुगल सम्राट अकबर ने भूमि भेंट स्वरूप दी थी। सन् 1579 में चौथे गुरु रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना की। जिसे गुरु का स्थान कहा जाने लगा। नगर का नाम अमृतसर बाद में पड़ा था।

सरोवर के नाम पर

नगर निर्माण के दौरान कार सेवा के लिए आई बीबी रजनी तथा उसके कोढ़ग्रस्त पति की घटना से अनायास एक ऐसे जलाशय का पता चला, जिसके जल में चमत्कारी गुण थे। उस ताल के जल से जब कोढ़ जैसा रोग भी दूर हो गया तो **गुरु रामदास जी ने उस जलाशय को एक सरोवर का रूप देने का निश्चय किया।** उन्हें यह समझने में देर न लगी कि यही वह अमृत के समान जल है जिसके बारे में गुरु नानक देव जी ने कहा था। उन्होंने वहां एक विशाल सरोवर का निर्माण कराया। सरोवर के मध्य एक चबूतरा भी बनाया गया, जहां रोज सुबह-शाम गुरु का दरबार लगता था और श्रद्धालु बड़े मनोयोग से गुरु की वाणी सुनते थे। **बाद में गुरु अर्जुन देव जी ने सरोवर को पक्का बनवाकर उसके चारों ओर सीढियां बनवाई।** अमृत के समान जल वाले सरोवर को उन्होंने अमृत सरोवर तथा अमृतसर कहना आरंभ कर दिया। बाद में सरोवर के नाम से ही शहर का नाम अमृतसर पड़ गया।

यह चमक सुनहरी

अमृतसर आने वाला हर सैलानी सबसे पहले स्वर्णमंदिर के ही दर्शन करने पहुंचता है। स्वर्णमंदिर को अमृतसर का हृदय कहा जाए तो गलत न होगा। स्वर्णमंदिर का वास्तविक नाम हरिमंदिर साहिब है, जिसका निर्माण गुरु अर्जुनदेव जी ने करवाया था। अमृतसरोवर के मध्य बने चबूतरे पर उन्होंने सन् 1588 में एक भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ कराया, जिसके अलग-अलग दिशाओं में चार द्वार थे। हरिमंदिर साहिब निर्माण के बाद यहां गुरुग्रंथ साहब की स्थापना की गई। किंतु हरिमंदिर साहिब की वर्तमान इमारत वह नहीं है, जिसका निर्माण गुरु अर्जुनदेव जी के समय हुआ था। दरअसल 18वीं शताब्दी में जब अफगान तथा मुगल आक्रांता देश के धर्मस्थलों को क्षति पहुंचाने लगे तब अमृतसर का यह पवित्र स्थल भी बच न सका। 1757, 1762 और 1765 में इसे तीन बार तहस-नहस किया गया, लेकिन सिख अनुयायियों ने पूरी आस्था और लगन से हरिमंदिर साहिब को पुनरू प्रतिष्ठित किया। आज हरिमंदिर साहिब जिस रूप में विद्यमान है, उसका श्रेय महाराजा रणजीत सिंह को जाता है। उन्होंने देश भर से निपुण शिल्पकारों को बुलवाकर मंदिर के सुंदरीकरण का कार्य करवाया था। हरिमंदिर साहिब के गुंबद को पहले कांस्य चादर से ढक कर उस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। बाद में बाहर तथा अंदर की दीवारों पर भी स्वर्णपत्र चढ़ाए गए। हरिमंदिर साहब की स्वर्णिम आभा के कारण ही इसे स्वर्णमंदिर कहा

जाने लगा। आज स्वर्णमंदिर पर 1600 किलोग्राम से भी अधिक सोना मढ़ा है जिसकी सुनहरी चमक हर दिशा से पर्यटकों को प्रभावित करती है।

वास्तुकला की कई शैलियां

स्वर्णमंदिर की वास्तुकला में विभिन्न वास्तुकलाओं का समावेश किया गया था। गुंबद के ऊपरी हिस्से पर उलटे कमल की आकृति बनी। यह शैली आगे भी विभिन्न गुरुद्वारों के निर्माण में अपनाई गई। मंदिर के अंदर की दीवारों एवं छत पर स्वर्ण के अतिरिक्त रंगीन कांच व मूल्यवान पत्थरों से मनमोहक एवं कलात्मक आकृतियां व बेलें आदि बनी हैं। प्राकृतिक रंगों से बने पुराने चित्र आज भी उतने ही आकर्षक दिखते हैं, रंग-बिरंगे झाड़फानूस हरिमंदिर साहिब की आंतरिक सा का खास हिस्सा है। हरिमंदिर साहिब के प्रवेशद्वार पर गुरुमुखी भाषा में लिखी तहरीर के अनुसार इसका नवनिर्माण एवं सुंदरीकरण 1830 में पूरा हुआ था। स्वर्णमंदिर तक पहुंचने के लिए पुलनुमा मार्ग बना है, जिसका द्वार दर्शनी डयोढ़ी कहलाता है। मंदिर में प्रथम तल पर गुरुग्रंथ साहिब अवस्थित हैं जहां अखंड पाठ चलता रहता है। पाठ करने वालों को रागी कहते हैं। क्योंकि ये लोग संगीत के उन रागों के जानकार होते हैं जिनमें गुरुग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। हरिमंदिर को दरबार साहिब भी कहा जाता है। मंदिर में माथा टेक कर लोग हरि की पैड़ी नामक स्थान पर अमृतपान करते हैं तथा बाहर आते हुए कढ़ा प्रसाद ग्रहण करते हैं।

अकाल तख्त

स्वर्णमंदिर एवं पवित्र सरोवर विशाल परिसर के मध्य स्थित है, जिसका मुख्य प्रवेशद्वार उत्तर दिशा में है। इस द्वार पर एक क्लॉक टॉवर बना है। मंदिर में प्रवेश करते समय सिर पर पगड़ी या कोई कपड़ा या टोपी अवश्य होनी चाहिए। अंदर सरोवर के आसपास संगमरमर का बना परिक्रमा पथ है। मंदिर परिसर में दिनभर गुरुवाणी की कर्णप्रिय गूंज सुनाई देती रहती है। परिसर में और भी अनेक महत्वपूर्ण भवन एवं छोटे गुरुद्वारे हैं। इनमें सबसे प्रमुख अकाल तख्त है। हरिमंदिर साहिब के सामने स्थित यह सफेद भवन सामाजिक नीतियों तथा धार्मिक विषयों का सर्वो आसन है। अकाल तख्त से जारी प्रत्येक आज्ञा हर सिख के लिए अनुकरणीय होती है। अकाल तख्त की स्थापना छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी ने की थी। भवन में गुरुओं के पुराने अस्त्र-शस्त्र, भेंट में प्राप्त मूल्यवान वस्तुएं तथा आभूषण आदि भी रखे हैं। यहीं कोठा साहिब नामक वह स्थान भी है, जहां गुरुग्रंथ साहिब को रात्रि के समय सुखासन के लिए लाया जाता है। प्रातरूकाल तीन बजे यहीं से गुरुग्रंथ साहिब की सवारी उसी सम्मान से हरिमंदिर साहिब ले जाई जाती है। अकाल तख्त के सामने दो निशान साहिब भी स्थापित हैं। अकाल तख्त के गुंबद पर भी सुनहरी चमक मौजूद है।

परिसर के अंदर स्थित अन्य दर्शनीय स्थलों में गुरुद्वारा लाची बेरी, गुरुद्वारा बाबा अटल राय, गुरुद्वारा घड़ा साहिब, गुरुद्वारा शहीदगंज, बाबा गुरुबख्श सिंह, बेर बाबा बुढ्डा जी, शहीद बुंगा बाबा दीप सिंह आदि है। स्वर्णमंदिर आने वाले हर श्रद्धालु गुरु के लंगर में आकर प्रसाद जरूर ग्रहण करता है, जो कि पूर्वी प्रवेशद्वार के निकट स्थित है। यह लंगर बारहों माह चलता रहता है। यहां अमीर-गरीब या जात-पात के भेदभाव के बिना सभी एकसाथ बैठकर लंगर ग्रहण करते हैं। यह एक दो मंजिले भवन में स्थित है जहां एक बार में हजार से अधिक लोग बैठ सकते हैं। परिसर में ही मंजी साहिब नामक विशाल सम्मेलन हाल भी है। जहां बड़े-बड़े धार्मिक सम्मेलन आदि आयोजित किए जाते हैं। परिसर के बराबर में गुरु रामदास सराय, नानक निवास आदि में यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी है। मुख्य प्रवेशद्वार के निकट स्थित केंद्रीय सिख संग्रहालय भी यहां का दर्शनीय स्थान है जहां सुंदर पेंटिंग प्रदर्शित है जिनमें दस गुरुओं के सौम्य चित्रों के साथ अनेक महत्वपूर्ण हस्तियों तथा घटनाओं के चित्र एवं धर्म की राह पर शहीद होने वाले वीरों के चित्र भी सजे हैं। संग्रहालय में अनेक पुरानी पांडुलिपियां, हुक्मनामे, दस्तावेज, शस्त्र एवं सिक्के भी प्रदर्शित हैं।

एक तीर्थ राष्ट्रीयता का

अमृतसर का पर्याय बना स्वर्णमंदिर यहां का धार्मिक तीर्थ है तो शहर का दूसरा पर्याय जलियाँवाला बाग एक राष्ट्रीय तीर्थ है। शहीदों के रक्त से सिंचित इस बाग की धरती से आज भी देशभक्ति की महक आती है। जलियांवाला बाग साक्षी है उस दौर में जब अंग्रेज़ी हुकूमत अहिंसावादी आंदोलन पर भी क्रूरता का कहर बरपाती थी। जब जनरल डायर ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए शांतिपूर्ण सभा पर मशीनगनों से अनगिनत गोलियां चलवाई थीं।

13 अप्रैल 1919 को रॉलट एक्ट के विरोध में रोष प्रकट करने के लिए यहां एकत्र हुए तमाम निर्दोष और निहत्थे भारतीय उन गोलियों के शिकार हुए। सदी की इस क्रूरतम घटना में दो हजार से अधिक लोग मारे गए तथा घायलों की संख्या भी हजारों में थी। जलियांवाला बाग में शहीद होने वालों की याद को कायम रखने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस ने एक ट्रस्ट बनाकर इस बाग की धरती को इसके मालिकों से खरीद लिया। फिर यहां जलियांवाला बाग मेमोरियल बनाया गया। आज इस बाग में ज्योति के आकार जैसा करीब 35 फुट ऊंचा लाल पत्थर का स्मारक बना है। उन शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में एक अमर ज्योति यहां सदैव प्रज्ज्वलित रहती है। बाग की दीवारों पर आज भी उन गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। बाग में वह शहीदी कुआँ भी विद्यमान है जिसमें उस समय सैकड़ों लोग गिर गए थे। यहां बने एक छोटे से संग्रहालय में उस दौर के चित्र घटना के मर्म का एहसास कराते हैं। यहां शहीद उधम सिंह की तस्वीर भी लगी है, जिन्होंने 19 साल बाद जलियांवाला बाग कांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को लंदन में मार गिराया था।

एक तीर्थ भवानी का

अमृतसर की पवित्र धरती पर एक और तीर्थ है, जिसे दुर्गयाना तीर्थ कहा जाता है। यह भवानी दुर्गा का मंदिर है, जिसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। पहले यहां एक छोटा मंदिर था। बाद में समय-समय पर इसका जीर्णोद्धार भी होता रहा। वर्तमान दुर्गयाना मंदिर स्वर्णमंदिर के समान एक सरोवर के मध्य स्थित है। मंदिर की दीवारें कांगड़ा शैली के सुंदर चित्रों से सजी हैं। नवरात्रों के पावन अवसर पर यहां भक्तों की अपार भीड़ आती है। दुर्गयाना मंदिर के सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इसकी स्थापना 1925 में पंडित मदनमोहन मालवीय द्वारा की गई थी।

समारोह ध्वजारोहण का

अमृतसर के निकट ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक और केंद्र बाघा बार्डर महत्वपूर्ण है। भारत-पाकिस्तान सीमा पर यह संयुक्त चौकी है। वैसे तो यह चौकी दिन भर वीरान होती है, लेकिन शाम होते-होते एकदम जीवंत हो उठती है। इसका कारण है रोज शाम को यहां होने वाला ध्वजारोहण, जिसे देखने के लिए शाम से पहले ही यहां पर्यटकों का हुजूम जुटने लगता है। शहर से करीब 32 किलोमीटर दूर स्थित यह चौकी उस समय एक समारोह स्थल में तबदील हो जाती है। सीमा पर लोहे के दो गेट लगे हैं। तिरंगे के रंगों से सजा गेट भारत की दिशा में है तथा हरे रंग पर चांद सितारे वाला गेट पाकिस्तान की ओर है। इनके मध्य दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे होते हैं। पर्यटकों के आने पर वहां देशभक्ति के गीत गूंजने लगते हैं। लोगों में देशभक्ति का जज्बा देखते ही बनता है। ऐसा ही माहौल पाकिस्तान की ओर भी नजर आता है।

ध्वजारोहण का समय होने पर सीमा सुरक्षा बल के जवान अपना द्वार खोलते हैं। उसी समय दूसरी ओर का द्वार भी खुलता है। उस समय दोनों तरफ के जवानों की फुर्ती देखते ही बनती है, जिसे देख वहां उपस्थित लोग तालियां बजाने लगते हैं। फिर दोनों देशों के जवान धीरे-धीरे अपना ध्वज उतारते हैं। उसके बाद सीमा द्वार पुनः बंद कर दिया जाता है। वास्तव में यह अपने आपमें अनोखी रस्म है, जिसे देखने विदेशी सैलानी भी पहुंचते हैं। इसके लिए किसी टिकट या पास की जरूरत नहीं होती। वाघा सीमा का यह समारोह पर्यटकों को बेहद प्रभावित करता है।

राम बाग

शहर के नए हिस्से में स्थित रामबाग भी दर्शनीय स्थान है। इस सुंदर बाग में महाराजा रणजीत सिंह का महल है, जिसमें अब संग्रहालय है। इस संग्रहालय में पंजाब के महाराजाओं के चित्र तथा मुगलकाल के हथियार प्रदर्शित किए गए हैं। अमृतसर से 25 किलोमीटर दूर तरनतारन भी देखने योग्य स्थान है।

बड़ियाँ अमृतसर की

हालांकि अमृतसर कोई बड़ा शहर नहीं है। इसलिए सैलानियों को घूमने में जरा भी परेशानी नहीं होती। स्वर्णमंदिर परिसर के सामने ही एक बाज़ार है। यहां के पापड़, बडियां, अचार आदि काफी प्रसिद्ध हैं। यहां की बडियां बाहर भी खासी लोकप्रिय हैं। यहां आकर सैलानी अमृतसरी छोले-भटूरे तथा लस्सी का स्वाद जरूर लेते हैं। ऊनी वस्त्र, स्वेटर तथा कंबल आदि तो पर्यटकों की खरीदारी का खास हिस्सा होते हैं। वैसे अमृतसर की रौनक का उत्कर्ष अगर देखना हो तो यहां गुरुपर्व या दीपावली जैसे किसी बड़े पर्व पर आना चाहिए। उस समय स्वर्ण मंदिर रात्रि में प्रकाश से इस तरह जगमगाता रहता है कि वह छटा अन्यत्र दुर्लभ है। उस समय यहां पंजाब की लोकसंस्कृति की भी अच्छी झलक देखने को मिलती है।

आँचलिक कार्यालयः अमृतसर

बचत करना भी एक तरफ से कमाना ही होता है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल

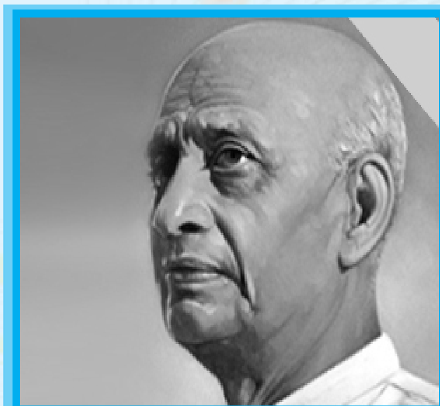

स्वतंत्र भारत में कोई भी भूख से नहीं मरेगा। अनाज निर्यात नहीं किया जाएगा कपड़ों का आयात नहीं किया जाएगा। इसके नेता विदेशी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे।

कार्टून कोना

प्रदीप रॉय, पूर्व मुख्य प्रबंधक

ज़रा सोचिए..

महेन्द्र कुमार मीणा

जयपुर शहर में मकर सक्रांति का त्यौहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुबह से ही घरों की छतों पर लोग पतंग उड़ाने की पूरी तैयारियों के साथ दिखाई देते है। इस बार 14 जनवरी 2017 की बात है हवा नहीं चलने से बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। दोपहर 12 बजे के करीब हवा की रफ्तार थोड़ी तेज होने से पतंग उड़ाने वालों को बो काटा.. ....बो काटा..........चिल्लाते हुए हर छत पर से शोर सुनाई दे रहा था। मकर सक्रांति मनाकर शाम को मैं अपने घर जयपुर से दिल्ली, बस के द्वारा आ रहा था। हालांकि घर से जाने की वजह से मन थोड़ा उदास था, लेकिन आना तो था ही, और इस तरह मैं नारायण सिंह सर्किल बस स्टैण्ड से बस में बैठ गया बस सरपट अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रही थी। इस बीच मुझे नींद आ गयी और नींद तब खुली जब बस एक मीड-वे पर रूकी जो कि नीमराणा में आता हैं। मेरा कुछ खाने का मन नहीं था लेकिन फिर भी मैं बस से उतर गया और चाय की दुकान की तरफ बढ़कर, सर्दी के मौसम में, गरमा गरम चाय का आनंद लिया। अभी बस चलने में थोड़ा समय था, समय व्यतीत करने के लिए मैं यूँ ही टहलने लगा। ठंडी-ठंडी हवा अच्छी लग रही थी, तभी मेरी नजर होटल के मेनू पर पडी जिसमें आलू का परांठा के सामने 30 रू. लिखा हुआ था, मैने सोचा रेट ठीक है फिर भी मैने पूछा कि भैया परांठा कितने का है, वह बोला की 30 रू. का । मैने तुरंत आर्डर दिया कि एक गरमा-गरम परांठा ले आओ और वो बिना देरी किए फटाफट ले आया। मैंने देखा कि क्या बात है परांठे के साथ पनीर की सब्जी, सलाद, मजा आ गया और बिना देरी किए मैंने परांठा खत्म किया इतने में बस का हॉर्न सुनाई दिया। जल्दी से जब काउंटर पर जाकर मैं 30 रू. देने लगा तो वो बोला कि सर 190 रू. हुए आपके। यह सुनकर मैने पूछा कि भाई 190 रू. कैसे हुए, तो वह बोला कि 30रू. का आलू परांठा, 150रू. की सब्जी, और 10 रू. का सलाद, यह सब सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी छोटी सी भूल वो यह कि मैने उससे यह नहीं पूछा कि सब्जी परांठे के साथ है या अलग से, और सस्ता मिलने के चक्कर में 160रू. की चपत लगी।

कहने को तो यह बहुत बड़ा खर्चा नहीं पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी किसी भी चीज के बारे में पहले अच्छे से पूछ लिया करें कभी कभी ऐसा होता है हमारी जेब में उतने पैसे होते नहीं जितने का हम सामान ले चुके होते हैं, और अनजान जगह पर हमें परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। जब भी मैं वहाँ से निकलता हूँ तो याद ताजा हो जाती है। मैंने तो सोच लिया कि आइंदा से ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा आप भी जरा सोचिए ?

प्रधान कार्यालय, राजभाषा विभाग

बैंकों का विलय - कितना लाभप्रद है?

सौरभ शर्मा

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय को लेकर पिछले 10–15 वर्षों के दौरान कई समितियाँ गठित हुईं , लेकिन किसी के सुझावों पर अमल नहीं हो पाया। 2003 में भारतीय बैंक संघ ने बैंकों के विलय की रूप रेखा तैयार की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने तत्कालीन वित्त सचिव आर.एस. गुजराल की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को मिलाकर सात बड़े बैंक बनाने की सिफारिश की थी। कुछ समय पूर्व भारतीय महिला बैंक सहित स्टेट बैंक के पाँच सहयोगी बैंकों (स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर तथा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद) का स्टेट बैंक में विलय किया गया था, जिन्होंने 1 अप्रैल से स्टेट बैंक के रूप में काम करना शरू कर दिया है।

अब केंद्र सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में विलय कर इनकी संख्या और कम करना चाहती है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बैंकों के प्रस्तावित एकीकरण या विलय का उद्देश्य मजबूत बैंकों की स्थापना करना है। सरकार यह मानती है कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिये देश में ऐसे बड़े बैंकों का होना जरूरी है, जिनकी विश्व-स्तरीय पहचान हो। रिजर्व बैंक का मानना है कि देश में 5–6 बड़े बैंक होने चाहिये, ताकि उन पर एन पीए जैसा अवांछित वित्तीय भार न पड़े। इससे बैंकों का व्यावसायिक-वाणिज्यिक प्रभाव बढ़ेगा तथा संसाधनों के एक ही स्थान पर होने वाले केन्द्री करण की समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी।

एन पीए के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का बढ़ता घाटा उदारीकरण के इस दौर में सरकार के लिये चिंता का एक बड़ा विषय है। प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्थायी परिचालन लाभ वित्त वर्ष 2016–17 की अवधि में 1.5 लाख करोड़ था, लेकिन कर्ज के लिये किये गए विभिन्न प्रावधानों के चलते शुद्घ लाभ केवल 574 करोड़ रुपए ही रह गया। एक नवीनतम अनुमान के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कुल एन पीए 6 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुँच चुका है। बैंकों द्वारा दिये गए कुल ऋण का लगभग 9.6% हिस्सा एन पीए में बदल चुका है, जिसकी रिकवरी हो पाना आसान नहीं है। बढ़ते जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के इस एन पीए से छुटकारा पाने के लिये बैंकों को मजबूत बनाने की जरूरत है अन्यथा पूंजी आवश्यककी के किल्लत का सामना कर रहे हैं और सरकार इन्हें उबारने के लिये पिछले तीन वर्षों में इनमें लगभग 60 हजार करोड़ रुपए डाल चुकी है। विलय की प्रक्रिया में बैंकों का एन पीए एक प्रमुख मुद्दा होगा, क्योंकि यह एकीकरण इसलिये नहीं किया जा रहा है कि कमजोर बैंकों का बोझ मजबूत बैंक पर पड़े। यदि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आपस में मिला कर ऐसे बैंकों की संख्या कम रखी जाए, तो इससे भारतीय बैंकिंग प्रणाली को लाभ होगा और वसूली में फंसे कर्जों की समस्या का सामना करने में मदद मिलेगी। कोलंबिया विश्वविद्यालय में कोटक परिवार के नाम से जुड़ी एक व्याख्यान-माला के अंतर्गत एक व्याख्यान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल ने कहा, ''कई लोगों का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि हमें इतने अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जरूरत क्यों है। यदि इन बैंकों को विलय कर मजबूत बैंक बनाया जाए, तो प्रणाली बेहतर होगी।''

सामुदायिक स्तर की बैंकिंग सेवा देने के लिए कुछ सहकारी बैंक और सूक्ष्म वित्त संस्थान हैं। ऐसे में कुछ बैंकों का विलय किया जा सकता है। भारत के केंद्रीय बैंक को बैंकिंग क्षेत्र के बड़े दबाव वाले बही खातों की समस्या से जूझना पड़ रहा है। हाल के वर्षों में गैर निष्पादित आस्तियों (एन पीए) की समस्या से निपटने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इसमें बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता का वृहद समीक्षा भी शामिल है। बैंकों के एकीकरण से ऐसी रीयल एस्टेट संपत्तियों को बेचा जा सकता है, जहां शाखाएं बेकार हो चुकी हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की संख्या के प्रबंधन को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी. आर. एस) की पेशकश की जा सकती है। युवा लोगों को जोड़ा जा सकता है जो आज की डिजिटल जरूरत को पूरा कर सकते हैं।

छोटे बैंकों का बड़े बैंक में विलय करने के समर्थक कहते हैं कि शाखाओं और ग्राहकों की संख्या कम होने के कारण छोटे बैंकों की

जो राष्ट्रप्रेमी है, उसे राष्ट्रभाषा प्रेमी होना चाहिए...कन्नड़ भाषा के विद्वान, दर्शनिक व देशभक्त रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर

परिचालन लागत अधिक होती है तथा ऐसे बैंक वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण बड़े बैंकों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। बैंकों के प्रस्तावित एकीकरण या विलय का उद्देश्य मजबूत बैंकों की स्थापना करना है। सरकार यह मानती है कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिये देश में ऐसे बड़े बैंकों का होना जरूरी है, जिनकी विश्व-स्तरीय पहचान हो। रिजर्व बैंक का मानना है कि देश में 5–6 बड़े बैंक होने चाहिये, ताकि उन पर एन पीए जैसा अवांछित वित्तीय भार न पड़े।

इससे बैंकों का व्यावसायिक-वाणिज्यिक प्रभाव बढ़ेगा तथा संसाधनों के एक ही स्थान पर होने वाले केन्द्रीकरण की समस्या भी उत्पन्न नहीं होगी। बड़े बैंकों में बाजार में होने वाली उथल-पुथल का सामना करने की सामर्थ्य अधिक होती है। वैश्विक स्तर पर होने वाले परिवर्तनों का सामना भी ये सरलता से कर सकते हैं। बड़े बैंक संसाधन जुटाने के मामले में भी छोटे बैंकों की तुलना में कहीं अधिक सक्षम होते हैं। ऐसे बैंक संसाधनों के लिये सरकार पर अधिक निर्भर नहीं रहते।

बासेल-3 मानकों को पूरा करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। इसे केवल सरकार के बूते पूरा कर पाना कठिन होगा, इसलिये भी बैंकों का एकीकरण आवश्यक है। बैंकों का एकीकरण होने से उनका पूँजी आधार बढ़ेगा और वे विशाल परियोजनाओं के लिये अधिक कर्ज देने में कठिनाई महसूस नहीं करेंगे।

वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि स्टेट बैंक में अन्य 5 बैंकों का हालिया विलय सफल रहा है, क्योंकि इसके बाद स्टेट बैंक विश्व के 50 बड़े बैंकों की सूची में 45वें स्थान पर आ गया है।

बैंकों के विलय के सकारात्मक प्रभाव

वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार

बैंकों के बीच विलय स्वाभाविक रूप से बैंकों के बीच प्रतियोगिता को कम कर देता है। वित्तीय प्रतिद्वंद्वियों के कम होने से बैंकों को लाभ होगा। आपरेशनल लागत स्वचालित रूप से नीचे आ जाती है और कई पदों को खत्म कर दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप काफी अधिक बचत और मुनाफा होता है।

बेहतर ग्राहक सेवा

विलय के दौरान अपनाई जाने वाले सर्वोत्तम तकनीक और अन्य संसाधनों के साथ ग्राहक सेवा नाटकीय ढंग से सुधार हो सकता है।

संगठनात्मक संस्कृति

बैंक विलय के साथ कर्मचारियों को विभिन्न शाखाओं में तैनात होने की संभावना है। विभिन्न संस्कृतियों के बीच में काम करने से धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही प्रांतीयवाद में कमी भी होगी। इससे बैंकों की कार्यस्थल संस्कृति एवं कामकाजी जीवन भी बेहतर बनने वाला है। इसके अलावा एक बड़ा कार्यबल और संशोधित प्रशासन का मतलब होगा कि उद्योग में किसी भी पक्षपात की बहुत कम संभावना होगी।

संचालन सुधार

प्रत्येक शाखा, और पूरे बैंक, अपने सिस्टम में ताजा रक्त का स्वागत किया जाएगा, जिससे नए विचारों को पेश करने की संभावना बढ़ जाएगी जो बैंकिंग प्रणाली के सुधार को बढ़ावा देगी। इससे पहले की गई उच्च बचत, इससे भी बुनियादी ढांचे के सुधार और कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विकास में सुधार के लिए उस पैसे का उपयोग करने के दायरे को आगे बढ़ेगा।

कर्मचारी को लाभ

बढ़ती बचत और उच्च आय के फलस्वरुप कर्मचारियों को बेहतर वेतन मिलेगा । इसके अलावा, विलय के साथ, नए पदों को खोल दिया जाएगा जो मौजूदा कर्मचारियों को सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने का

अवसर जब्त करने में मदद करेगा। नई स्थिति रोजगार बाजार में पूरी तरह से नौकरी भी पैदा करेगी।

उपरोक्त सकारात्मक प्रभाव के अलावा विलय के कुछ नकारात्मक प्रभावध्चुनोतियां भी है।

कर्मचारियों मे विरोध एवं असंतोष की भावना

नए पदों के निर्माण के बावजूद, विलय के साथ काफी संख्या में पदों को समाप्त कर दिया जाएगा । इसके अलावा, एक ही बैनर के तहत आने वाले सभी सहभागी बैंकों के कर्मचारियों के साथ, कई शाखाओं में अधिशेष कर्मचारी होंगे, जो पूर्व में कमजोर शाखाओं में स्थानांतरित हो जाएगा, आमतौर पर दूरस्थ स्थानों में। यह व्यापक असंतोष को गति देगा।

प्रबंधन के मुद्दे

विलय के बाद बैंक शाखाओं की संख्या निश्चित रूप से बढ़ जाएगी, जो सभी शाखाओं/कार्यालयों को मॉनिटर करना कठिन बना देगा। इसके अलावा, विभिन्न कार्यस्थल संस्कृतियों के संपर्क में आने से शुरुआत में कुछ संघर्ष हो जाते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मियों की विभिन्न यूनियनों का संयुक्त मंच श्यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंसश बैंकों के विलय एवं एकीकरण का लगातार विरोध करता रहा है और इसे मुद्दा बनाकर समय-समय पर हड़ताल का आह्वान भी करता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एकीकृत कर एक बड़ा बैंक बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है। भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों में तकनीक, उत्पाद, नीतियाँ आदि लगभग एक जैसी थीं तथा उनकी कार्यप्रणाली में समानता व एकरूपता थी। इसलिये उनके विलय में अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों में ऐसा नहीं है। किसी भी प्रकार के विलय के बाद मानव संसाधन स्तर पर असंतोष उत्पन्न होने की संभावना बराबर बनी रहती है। भिन्न कार्य परिस्थितियों के अभ्यस्त हो चुके कर्मचारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही तरीके से कार्य करने में प्रचालनगत समस्याएँ आने की आशंका रहती है। इसके अलावा सूचना व प्रौद्योगिकी, वेतन व भत्ते, प्रणाली आदि का एकीकरण करना भी आसान नहीं होता।

बेहतर पूंजी प्रबंधन, ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन में गुणवत्ता का समावेश, एनपीए की वसूली के लिये एकीकृत प्रयास, ऋण वसूलने के लिये बैंक अधिकारियों को प्रभावी अधिकार, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, कुशल मानव संसाधन, परिचालन व अन्य खर्चों में कटौती, राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति आदि उपायों से भी बैंकों की कार्यकुशलता बढ़ाई जा सकती है।

निष्कर्ष

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकीकरण उन्हें पूँजी की कमी से बचाने का कोई रामबाण उपाय नहीं है। यह केवल बैंकों पर ही नहीं, बल्कि प्रत्येक उस क्षेत्र पर लागू होता है, जहाँ पूँजी अधिक लगी है और मुनाफे के बजाय घाटा होता है। पूर्व में किये गए दो सरकारी उपक्रमों एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस के विलय का उदाहरण देखें। इनके विलय की राह में सबसे बड़ी बाधा मानव संसाधन का एकीकरण था और वर्तमान में एअर इंडिया की बदहाली का कारण इस एकीकरण को ही माना गया। इस विलय के बाद स्थिति और बिगड़ गई और आज हालत ये है कि सरकार 'सफेद हाथी बन चुके महाराजा' से अपने हाथ खींचने की तैयारी कर इसके विनिवेश का निर्णय ले चुकी है।

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में बड़े बैंक सफलता की गारंटी नहीं हैं, क्योंकि हमारा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवेश चीन, अमेरिका या यूरोपीय देशों से काफी अलग है।

पूंजी की कमी को दूर करने में सरकारी बैंकों का एकीकरण सहायक हो सकता है, लेकिन इसे आदर्श नहीं माना जा सकता। यह इसलिये कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जितनी पूँजी की जरूरत है उसकी पूर्ति एकीकरण के बाद भी संभव नहीं है। इतनी भारी-भरकम धनराशि का इंतजाम करना बैंकों तथा सरकार दोनों के लिये नाकों चने चबाने के समान होगा।

आंचलिक कार्यालय, चण्डीगगढ़

उद्घाटन

शाखा डबल चौकी, जिला देवास (मध्यप्रदेश) का नए परिसर में स्थानांतरण। सभी स्टाफ सदस्यों के साथ शाखा के ग्राहक भी दृष्टव्य हैं।

भावभीनी विदाई

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग के प्रभारी एवं सहायक महाप्रबंधक श्री राजिंदर सिंह बेवली को दिनांक 31.12.2017 को उनका सेवाकाल समाप्त होने पर भावभीनी विदाई दी गई. इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्य, विभाग के अधिकारी तथा भूतपूर्व स्टाफ सदस्य भी उपस्थित थे। बैंक के महाप्रबंधक श्री वीरेन्द्र गुप्ता, श्री सुभाष क्वात्रा तथा सुश्री हरविंदर सचदेव जी ने अपने अभिभाषण द्वारा उन्हें भावभीनी विदाई दी। चित्र में राजभाषा विभाग के भूतपूर्व प्रभारी डॉ. प्रताप सिंह जी श्री बेवली को भावभीनी विदाई देते हुए।

नववर्ष मंगलमय हो...

दिनांक 01.01.2018 को पंजाब एण्ड सिंध बैंक के इतिहास में एक नयी परंपरा की शुरूआत हुई, जब बैंक के कार्यकारी निदेशक महोदय श्री फरीद अहमद जी, श्री गोविंद एन. डोंग्रे जी तथा बैंक के सभी उच्चाधिकारियों ने बैंक के समस्त स्टाफ को सामूहिक रूप से नववर्ष की शुभकामनाएं दीं तथा पिछले वर्ष में बैंक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया। राजभाषा विभाग के लिए भी यह गौरव के क्षण थे जब सर्वप्रथम विशेषकर प्रधान कार्यालय को राजभाषा के क्षेत्र में 'क' क्षेत्र के लिए प्राप्त कीर्ति पुरस्कार का उल्लेख किया गया।

इसी परंपरा के अंतर्गत बैंक में माह के प्रथम दिन, इस माह में जन्में सभी स्टाफ सदस्यों के जन्म दिन का आयोजन का निर्णय लिया गया इसका शुभारंभ 01 जनवरी 2018 को किया गया। प्रस्तुत हैं आयोजन की कुछ झलकियाँ।

छपते छपते

बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जतिन्दरबीर सिंह (आई. ए. एस.) महोदय बैंक के वर्ष 2018 के कैलेंडर का विमोचन करते हुए। साथ हैं बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री फरीद अहमद तथा श्री गोबिन्द एन डोंग्रे।

बैंक के वर्ष 2018 के कैलेंडर के साथ बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जतिन्दरबीर सिंह (आई. ए. एस.), कार्यकारी निदेशक श्री फरीद अहमद एवं श्री गोविंन्द एन. डोंग्रे तथा अन्य उच्चाधिकारीगण।

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ ॥

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

जहाँ सेवा ही जीवन-ध्येय है

पी.एस.बी

Punjab & Sind Bank

(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

द्वारा आयोजित

फेस्टिवल बोनान्ज़ा स्कीम

आवास,ऑटो एवं व्यापार ऋण के लिए

आवास ऋण
HOUSING LOAN

- ⋆शून्य प्रोसेसिंग फीस
- ⋆न्यूनतम मासिक किस्त
- ⋆आकर्षक ब्याज दर*
- ⋆अधिकतम भुगतान समय 40 वर्ष तक

ऑटो ऋण
AUTO LOAN

- ⋆शून्य प्रोसेसिंग फीस
- ⋆न्यूनतम मासिक किश्त
- ⋆आकर्षक ब्याज दर *
- ⋆अधिकतम भुगतान समय 7 वर्ष तक

पी एस बी PSB

मॉर्टगेज ऋण MORTGAGE LOAN	व्यापार ऋण VYAPAR LOAN	एस.एम.ई. लिक्विड प्लस SME LIQUID PLUS

- ⋆सभी व्यापारियों एवं औद्योगिक ग्राहकों के लिए
- ⋆50% छूट-प्रोसेसिंग फीस पर
- ⋆आकर्षक ब्याज दर*
- ⋆व्यक्तिगत एवं कार्यशील पूंजी ऋण आवश्यकतानुसार
- ⋆सरल प्रोसेसिंग प्रक्रिया

कॉम्बो प्रस्ताव के अन्तर्गत ऑटो-आवास ऋण पर आकर्षक शर्तों का लाभ उठाएं

अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा से संपर्क करें अथवा हमारी वेबसाइट www.psbindia.com पर जाएं। *शर्तें लागू